[2021] 2 एस. सी. आर 924

लक्ष्मी पाट सुराना

वी.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एएनआर।

(2020 की सिविल अपील संख्या 2734)

26 मार्च, 2021

[ए. एम. खानविलकर, बी. आर. गवई और कृष्णा मुरारी, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016:

एस. 7 - वित्तीय लेनदार द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत-वित्तीय द्वारा सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए आवेदन

लेनदार-बैंक यू/एस। 7 एक निगमित व्यक्ति के खिलाफ (एक निगमित व्यक्ति होने के नाते)

देनदार) प्रमुख उधारकर्ता के ऋण खाते के संबंध में उसके द्वारा दी गई गारंटी के संबंध में, जिसने चूक की थी और संहिता रखरखाव के अर्थ के भीतर "कॉर्पोरेट व्यक्ति" नहीं है: कार्रवाई का अधिकार या कारण ऋणदाता (वित्तीय लेनदार) को प्रमुख उधारकर्ता के साथ-साथ गारंटर के खिलाफ समान पैमाने पर आगे बढ़ने के लिए आश्वस्त करेगा यदि वे संयुक्त रूप से और अलग-अलग कार्य करते हुए ऋण की राशि के पुनर्भुगतान में चूक करते हैं-यह अभी भी गारंटर द्वारा किए गए चूक का मामला होगा, यदि और जब प्रमुख उधारकर्ता ऐसा करने में विफल रहता है।

ऋण की राशि के संबंध में अपने दायित्व का निर्वहन-क्योंकि, गारंटर का दायित्व सह-व्यापक और सह-समाप्त होता है

ऋण चुकाने के लिए प्रमुख उधारकर्ता का, जैसा कि एस में बताया गया है। 128 अनुबंध अधिनियम-इस तरह के चूक के परिणामस्वरूप,

एस में अभिव्यक्ति "कॉर्पोरेट देनदार"। 3 (8) संहिता-प्रमुख उधारकर्ता द्वारा किए गए चूक पर, कंपनी का दायित्व (निगमित व्यक्ति), गारंटर होने के नाते, वित्तीय लेनदार के अधिकार को तुरंत निगमित व्यक्ति (एक निगमित देनदार होने के नाते) के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है-इस प्रकार, यू/एस कार्रवाई। 7 संहिता को वैध रूप से एक (कॉर्पोरेट) गारंटर के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है जो एक कॉर्पोरेट देनदार है।

924 लक्ष्मी पाट सुराना बनाम। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

एस. 7 - निगम की शुरुआत के लिए आवेदन

वित्तीय लेनदार द्वारा दिवालिया समाधान प्रक्रिया-मुख्य उधारकर्ता के ऋण खाते के संबंध में उसके द्वारा दी गई गारंटी के संबंध में कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ बैंक, जिसने ऋण खाते को गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में घोषित करने की तारीख से तीन साल बाद दायर किया गया डिफ़ॉल्ट आवेदन, जो कि चूक की तारीख है, यदि सीमा द्वारा वर्जित है-आयोजितः जब प्रमुख उधारकर्ता और/या (निगमित) गारंटर एन. पी. ए. की घोषणा के बाद अपने दायित्व को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करते हैं, लेकिन उससे तीन साल की समाप्ति से पहले (क्रमिक) पावती के कारण सीमा की नई अवधि सहित, उन्हें सीमा अधिनियम की धारा 18 के प्रभाव के कारण उपार्जित नवीनीकृत सीमा से बाहर निकालना संभव नहीं है। 18 हर बार लागू होगा जब प्रमुख उधारकर्ता और/या कॉर्पोरेट गारंटर-कॉर्पोरेट देनदार, के रूप में

मामला हो सकता है, ऋण का भुगतान करने के लिए उनके दायित्व को स्वीकार करना-इस तरह की पावती सीमा की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले होनी चाहिए, जिसमें समय-समय पर, यू/एस की कार्यवाही की स्थापना के लिए ऋण की स्वीकृति के कारण सीमा की नई अवधि भी शामिल है। 7 संहिता-तथ्यों पर, एन. सी. एल. टी. के साथ-साथ एन. सी. एल. ए. टी. ने एन. पी. ए. समय की घोषणा के बाद प्रमुख उधारकर्ता के साथ-साथ कॉर्पोरेट गारंटर-देनदार द्वारा स्वीकृतियों को स्वीकार किया।

और फिर से 30.01.2010 के बाद और अंत में 08.12.2018 पर-NCLT और NCLAT द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि समय-समय पर प्रमुख उधारकर्ता द्वारा ऋण की स्वीकृति की तारीख से सीमा की एक नई अवधि की गणना की जानी चाहिए और विशेष रूप से (कॉर्पोरेट) गारंटर/कॉर्पोरेट देनदार द्वारा अंतिम दिनांकित संचार के माध्यम से

08.12.2018 , पुष्टि की जाती है-इस प्रकार, आवेदन यू/एस। 7 13.02.2019 पर दाखिल की गई संहिता की सीमा-सीमा अधिनियम, 1963-s के भीतर है।

18 .

एस. 5 (5ए)-अभिव्यक्ति 'कॉर्पोरेट गारंटर'-का अर्थ। एस. 5 (7) - अभिव्यक्ति वित्तीय लेनदार '-का अर्थ।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 दिवाला और दिवालियापन की धारा 7

संहिता एक सक्षम प्रावधान है, जो वित्तीय लेनदार को [2021] 2 एस. सी. आर. के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया-सी. आई. आर. पी. शुरू करने की अनुमति देता है।

1.2 निस्संदेह, कार्रवाई का अधिकार या कारण ऋणदाता (वित्तीय लेनदार) को मूलधन के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ऋणकर्ता के साथ-साथ समान पैमाने पर गारंटर, यदि वे संयुक्त रूप से और अलग-अलग कार्य करते हुए ऋण की राशि के पुनर्भुगतान में चूक करते हैं। यह अभी भी स्वयं गारंटर द्वारा किए गए चूक का मामला होगा, यदि और जब प्रमुख उधारकर्ता ऐसा करने में विफल रहता है।

ऋण राशि के संबंध में अपने दायित्व का निर्वहन करना। क्योंकि, गारंटर का दायित्व सह-व्यापक और समान है

ऋण चुकाने के लिए प्रमुख उधारकर्ता का, जैसा कि अनुबंध अधिनियम की धारा 128 में बताया गया है। इस तरह की चूक के परिणामस्वरूप, गारंटर की स्थिति संहिता की धारा 3 (8) के अर्थ के भीतर एक देनदार या एक कॉर्पोरेट देनदार में रूपांतरित हो जाती है यदि वह एक कॉर्पोरेट व्यक्ति होता है। क्योंकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, संहिता की धारा 3 (12) में "चूक" पद को तब भी परिभाषित किया गया है जब ऋण की राशि का पूरा या कोई हिस्सा या किश्त देय या देय हो गया है और ऋणी या कॉर्पोरेट ऋणी द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, जैसा भी मामला हो। एक प्राथमिकता, संहिता के प्रावधानों के संदर्भ में, यदि गारंटर एक कॉर्पोरेट व्यक्ति है (जैसा कि धारा 3 (7) में परिभाषित किया गया है)

संहिता), यह अभिव्यक्ति के दायरे में आएगी " निगमित देनदार ", संहिता की धारा 3 (8) के अर्थ के भीतर। [पारस 19 और 20] [943-डी-एच]

1.3 धारा 3 (37) में निहित सामान्य प्रावधान यह अभिनिर्धारित करता है कि उपयोग किए गए और संहिता में परिभाषित नहीं किए गए, लेकिन उसमें निर्दिष्ट अधिनियमों में परिभाषित किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ उन अधिनियमों में क्रमशः दिए गए होंगे। एस से समर्थन प्राप्त करना। 3 (37) , इसका पालन करना चाहिए कि ऋणदाता

संहिता के अर्थ के भीतर एक वित्तीय लेनदार होगा। प्रमुख उधारकर्ता एक निगमित व्यक्ति हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अगर कोई निगमित व्यक्ति ऋण लेनदेन के लिए गारंटी देता है।

एक प्रमुख उधारकर्ता के निगमित व्यक्ति नहीं होने के संबंध में, यह लक्ष्मी पैट सुराना बनाम।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

अभी भी अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर शामिल किया जाएगा

1.4 अपीलार्थी के इस निवेदन को स्वीकार करना संभव नहीं है कि चूंकि प्रमुख उधारकर्ता एक निगमित व्यक्ति नहीं है, इसलिए वित्तीय लेनदार निम्नलिखित उपायों को लागू नहीं कर सकता था: संहिता की धारा 7 उस निगमित व्यक्ति के खिलाफ है जिसने केवल

ऐसे ऋण खाते के लिए गारंटी की पेशकश की। वह कार्रवाई अभी भी गारंटर के खिलाफ एक कॉर्पोरेट देनदार होने के नाते, प्रमुख उधारकर्ता द्वारा किए गए चूक के परिणामस्वरूप आगे बढ़ सकती है। संहिता की धारा 7 की चौड़ाई को सीमित करने का कोई कारण नहीं है, भले ही कानून कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू करने की अनुमति देता हो, अगर और जब प्रमुख उधारकर्ता द्वारा चूक की जाती है। के लिए, भुगतान करने के लिए गारंटर का दायित्व और दायित्व बकाया राशि को व्यापक रूप से लागू किया जाएगा। [पैरा 22] [944-सी-ई]

1.5 संहिता की धारा 5 (5ए) "कॉर्पोरेट गारंटर" शब्द को एक कॉर्पोरेट व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है, जो एक कॉर्पोरेट देनदार को गारंटी के अनुबंध में मुचलका है। यह परिभाषा को एक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, जो 6.6.2018 पर लागू हुआ है। यह प्रावधान अनिवार्य रूप से एक कॉर्पोरेट देनदार के संदर्भ में है जिसके खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू की जानी है।

संहिता की संशोधित धारा 60 के संदर्भ में, जो संशोधन 2018 के उसी संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया है। यह परिवर्तन एनसीएलटी को दिवाला समाधान से निपटने के लिए सशक्त बनाने के लिए था या

निगमित देनदार का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। इसका मतलब यह नहीं है कि संहिता की धारा 7 के तहत किसी निगमित व्यक्ति के खिलाफ उस व्यक्ति द्वारा सुरक्षित ऋण राशि की गारंटी के संबंध में कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है जो निगमित व्यक्ति नहीं है। ऐसे ऋण के भुगतान में चूक के मामले में। [पैरा 23] [944-ई-एच]

1.6 अपीलार्थी के प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप "निगमित देनदार" अभिव्यक्ति कमजोर या संकुचित हो जाएगी।

संहिता की धारा 7 में आने वाला, जिसका अर्थ है एक निगमित व्यक्ति, जिसका किसी भी व्यक्ति पर ऋण है। एक निगमित व्यक्ति के "ऋण" का अर्थ एक दावे [2021] 2 एस. सी. आर. के संबंध में दायित्व या दायित्व होगा।

जो किसी भी व्यक्ति से देय है और इसमें वित्तीय ऋण और परिचालन ऋण शामिल हैं। धारा 3 (11) में "ऋण" अभिव्यक्ति इतनी व्यापक है कि इसमें किसी निगमित व्यक्ति का दायित्व शामिल है -

किसी भी व्यक्ति के ऋण खाते के संबंध में उसके द्वारा दी गई गारंटी, जिसमें चूक की स्थिति में कॉर्पोरेट व्यक्ति न होना भी शामिल है। बाद वाले द्वारा किया गया। यह अभी भी निगमित व्यक्ति का एक "वित्तीय ऋण" होगा, जो उसके द्वारा दी गई गारंटी से उत्पन्न होता है।

संहिता की धारा 5 (8) का अर्थ। [पैरा 24] [945-ए-सी]

1.7 संहिता में "कॉर्पोरेट गारंटी" अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है, जबकि "कॉर्पोरेट गारंटर" अभिव्यक्ति को परिभाषित किया गया है। संहिता की धारा 5 (5ए) में परिभाषित। यदि विधायिका किसी ऐसे निगमित व्यक्ति को, जो निगमित व्यक्ति नहीं है, किसी व्यक्ति द्वारा सुरक्षित ऋण के संबंध में गारंटी की पेशकश कर रहा है, धारा 7 में आने वाली "निगमित देनदार" अभिव्यक्ति से बाहर करने का इरादा रखती है, तो यह संहिता में इस प्रकार प्रदान किया गया होगा (कम से कम जब धारा 5 (5ए) को "निगमित गारंटर" को परिभाषित करने वाली अभिव्यक्ति के रूप में सम्मिलित किया गया था)। यह विधानमंडल के लिए भी खुला था कि वह संहिता की धारा 7 में संशोधन करे और "निगमित देनदार" शब्द को एक उपयुक्त पद द्वारा प्रतिस्थापित करे।

अभिव्यक्ति। यह धारा 3 (8) में भी संशोधन कर सकता था ताकि एक ऐसी संस्था के ऋण खाते के लिए दी गई गारंटी से उत्पन्न दायित्व को बाहर किया जा सके जो एक निगमित व्यक्ति नहीं है। इसी तरह, यह भी हो सकता है

धारा 5 (8) में संशोधित अभिव्यक्ति "वित्तीय ऋण", धारा 3 (6) में "दावा", धारा 3 (11) में "ऋण" और धारा 3 (12) में "चूक"। समकालीन में उस प्रभाव का कोई संकेत नहीं है।

विधायी परिवर्तन किए गए। [पैरा 25] [945-सी-एफ] 1.8 "निगमित देनदार" शब्द को धारा 3 (8) में परिभाषित किया गया है जो समग्र रूप से संहिता पर लागू होता है। जबकि, धारा 5 (5ए) में "कॉर्पोरेट गारंटर" अभिव्यक्ति, केवल संहिता के भाग II पर लागू होती है। सामंजस्यपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण निर्माण पर

शासी प्रावधानों के अनुसार, निगमित व्यक्ति को निगमित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को दिए गए ऋण के संबंध में उसके द्वारा दी गई गारंटी के कारण उत्पन्न होने वाले दायित्व (निगमित देनदार होने) से बाहर निकालना संभव नहीं है। गारंटर की देनदारी प्रमुख उधारकर्ता की देनदारी के साथ सह-व्यापक है। धारा 7 के तहत उपाय राशि की वसूली के लिए नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट देनदार के पुनर्गठन और दिवालिया समाधान के लिए है जो अपने ऋण का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है और उस लक्ष्मी पैट सुराना v में चूक करता है।

ध्यान दें। निगमित देनदार के लिए यह ऋण चुकाने के लिए खुला है, जो देय और देय हो गया था और मूलधन द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है।

1.9 कानून में, गारंटर की स्थिति, जो एक कॉर्पोरेट व्यक्ति है, कॉर्पोरेट देनदार में परिवर्तित हो जाती है, वह क्षण प्रमुख उधारकर्ता (कॉर्पोरेट व्यक्ति न होने की परवाह किए बिना) ऋण के भुगतान में चूक करता है जो देय और देय हो गया था। इस प्रकार, संहिता की धारा 7 के तहत कार्रवाई वैध रूप से एक (कॉर्पोरेट) गारंटर के खिलाफ भी लागू की जा सकती है जो एक कॉर्पोरेट देनदार है। संहिता की धारा 5 (5ए) में "कॉर्पोरेट गारंटर" की परिभाषा को इस तरह से समझने की आवश्यकता है। [पैरा 27] [946-बी]

1.10 एक प्राथमिकता, यह नहीं कहा जा सकता है कि चूंकि ऋण एक स्वामित्व फर्म (एक कॉर्पोरेट व्यक्ति नहीं) को दिया गया था, इसलिए धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।

7 निगमित व्यक्ति के खिलाफ संहिता लागू नहीं की जा सकती है।

भले ही उसने उस लेन-देन के संबंध में गारंटी की पेशकश की थी। जबकि, प्रमुख उधारकर्ता द्वारा किए गए चूक पर, कंपनी (कॉर्पोरेट व्यक्ति) की देयता, गारंटर होने के नाते, वित्तीय लेनदार के कॉर्पोरेट व्यक्ति (एक कॉर्पोरेट देनदार होने के नाते) के खिलाफ आगे बढ़ने के अधिकार को तुरंत प्रेरित करती है। [पैरा 28] [946-सी-डी]

2.1 सीमा अधिनियम के प्रावधानों को संहिता के तहत कार्यवाही पर लागू किया गया है, जहां तक लागू हो। क्योंकि, धारा 238ए भविष्यवाणी करती है कि सीमा अधिनियम, जहाँ तक हो सके, कार्यवाही पर लागू होगा या

जहां इस न्यायालय द्वारा वैधता को बरकरार रखा गया है, यह तर्क देने के लिए खुला नहीं है कि संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन दायर करने की सीमा सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 तक सीमित होगी और कुछ मामलों में निर्धारित अवधि का विस्तार केवल सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत हो सकता है। सीमा अधिनियम की धारा 18 के प्रभाव को बाहर करने का कोई कारण नहीं है संहिता के तहत शुरू की गई कार्यवाही। [पैरा 36] [952-एच; 953-ए-सी] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

21] 2 एस सी आर।

2.2 आम तौर पर, ऋण खाते/ऋण को एन. पी. ए. के रूप में घोषित करने पर उस तारीख को चूक की तारीख के रूप में माना जा सकता है।

संहिता की धारा 7 के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए वित्तीय लेनदार। हालांकि, धारा 7 तब लागू होती है जब कॉर्पोरेट देनदार "चूक" करता है। धारा 7 सचेत रूप से "चूक" अभिव्यक्ति का उपयोग करती है-कॉर्पोरेट व्यक्ति के ऋण खाते को एन. पी. ए. के रूप में अधिसूचित करने की तारीख का नहीं। इसके अलावा, धारा 3 (12) में "चूक" अभिव्यक्ति को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है "ऋण" का भुगतान न करना।

जब ऋण की राशि का पूरा या कोई भाग या किश्त देय और देय हो गया हो और ऋणी या निगमित ऋणी द्वारा भुगतान नहीं किया गया हो, जैसा भी मामला हो। ऐसे मामलों में जहां निगमित व्यक्ति ने ऋण लेनदेन के संबंध में गारंटी की पेशकश की थी, वित्तीय लेनदार का अधिकार ऐसी संस्था के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का है जो निगमित कर्जदार है।

गारंटर, उस समय सक्रिय हो जाएगा जब प्रमुख उधारकर्ता ऋण का भुगतान न करने के कारण चूक करता है। इस प्रकार, जब प्रमुख उधारकर्ता और/या (निगमित) गारंटर एन. पी. ए. की घोषणा के बाद लेकिन उससे पहले अपने दायित्व को स्वीकार और स्वीकार करते हैं। (क्रमिक) स्वीकृतियों के कारण सीमा की नई अवधि को शामिल करते हुए, उनसे तीन साल की समाप्ति, उन्हें संचित नवीनीकृत सीमा से निकालना संभव नहीं है।

तथापि, स्वीकृति की नई अवधि सहित सीमा की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले होनी चाहिए। संहिता की धारा 7 के तहत कार्यवाही की स्थापना के लिए समय-समय पर ऋण की स्वीकृति के कारण सीमा। इसके अलावा, पावती एक दायित्व की होनी चाहिए जिसके संबंध में वित्तीय लेनदार संहिता की धारा 7 के तहत कार्रवाई शुरू कर सकता है। [पैरा 37] [954-ए-एफ]

2.3 एन. सी. एल. टी. के साथ-साथ एन. सी. एल. ए. टी. ने प्रमुख उधारकर्ता के साथ-साथ एल. ए. एक्स. एम. आई. पी. ए. टी. सुराना बनाम द्वारा स्वीकृतियों को स्वीकार किया है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

निगमित गारंटर-समय-समय पर एन. पी. ए. की घोषणा के बाद देनदार

समय तक और अंत में 08.12.2018 पर। तथ्य यह है कि सीमा अवधि के भीतर स्वीकृति केवल प्रमुख उधारकर्ता द्वारा की गई थी न कि गारंटर द्वारा, गारंटर को गारंटी पत्र और बंधक ज्ञापन से बहने वाले अपने दायित्व से मुक्त नहीं करेगा। गारंटर का दायित्व अनुबंध अधिनियम की धारा 128 के तहत प्रमुख उधारकर्ता के साथ सह-व्यापक होने के कारण, यह उस समय शुरू हो जाता है जब प्रमुख उधारकर्ता स्वीकृत ऋण का भुगतान करने में चूक करता है। यह एक कानूनी कल्पना है। गारंटर का ऐसा दायित्व गारंटी विलेख से निकलेगा और

बंधक का ज्ञापन, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से इसके विपरीत प्रदान नहीं करता है। [पैरा 38] [954-जी-एच; 955-ए]

2.4 08.12.2018 पर अंतिम पावती के बारे में आवेदन में किए गए स्पष्ट दावे के अलावा नई अवधि के परिणामस्वरूप न्यायाधिकरण ने मुख्य उधारकर्ता, निगमित गारंटर (निगमित देनदार) और वित्तीय लेनदार (बैंक) के बीच 30.01.2010 के बाद की प्रासंगिक अवधि के दौरान 13.02.2019 पर संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन दायर करने तक आदान-प्रदान किए गए पत्राचार को सीमित किया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निगमित देनदार ने समय-समय पर ऋण सुविधाओं को विधिवत सुरक्षित किया है। एन. सी. एल. टी. द्वारा (निगमित) गारंटर/निगमित देनदार द्वारा इस तरह की अंतिम स्वीकृति पर भी ध्यान दिया गया है।

एनसीएलएटी। वास्तव में, यह संचार कॉर्पोरेट गारंटर-कॉर्पोरेट देनदार द्वारा पूर्वाग्रह के बिना भेजा गया है।

फिर भी, यह प्रमुख उधारकर्ता के दायित्व को स्वीकार करता है; और उस ओर से कॉर्पोरेट देनदार द्वारा कॉर्पोरेट गारंटी की पेशकश की गई है। निगमित गारंटर-निगमित देनदार का दायित्व सह-व्यापक है

प्रमुख उधारकर्ता और यह उस समय शुरू हो जाता है जब प्रमुख उधारकर्ता ऋण का भुगतान करने में चूक करता है जब यह देय और देय हो गया था। निगमित देनदार-निगमित गारंटर की देनदारी भी तब शुरू होती है जब प्रमुख उधारकर्ता सीमा की निर्धारित अवधि की समाप्ति के भीतर लिखित रूप में अपने दायित्व को स्वीकार करता है, इस तरह के बकाया का भुगतान करने के लिए और स्वीकृत ऋण का भुगतान करने में विफल रहता है। तदनुसार, वित्तीय लेनदार को उपार्जित ऋण की इस तरह की स्वीकृति से तीन साल के भीतर कार्रवाई शुरू करने का अधिकार। हालाँकि, इसका उपयोग [2021] 2 एस. सी. आर. के भीतर किया जाना चाहिए।

तीन वर्ष जब सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के अनुसार मुकदमा करने/लागू करने का अधिकार प्राप्त होता है। यह सीमा अधिनियम की धारा 18 का प्रभाव है। इसमें, सीमा की एक नई अवधि की गणना उस समय से की जानी चाहिए जब पावती पर प्रमुख उधारकर्ता या कॉर्पोरेट गारंटर-कॉर्पोरेट देनदार, जैसा भी मामला हो, द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, बशर्ते -

स्वीकृति सीमा की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले होती है। इस प्रकार, एन. सी. एल. टी. द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष और संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन में आरक्षण के आधार पर एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पुष्टि एक संभावित दृष्टिकोण है। [पैरा 40] [957-जी-एच; 961-डी-एच; 962-ए] 2.5 यह अपीलार्थी का निवेदन है कि विचाराधीन राशि का भुगतान करने के लिए दायित्व की स्वीकृति मूलधन द्वारा की गई थी।

उधारकर्ता और वह पावती कॉर्पोरेट गारंटर (कॉर्पोरेट देनदार) के खिलाफ आगे बढ़ने का आधार नहीं हो सकती है। हालाँकि, सीमा अधिनियम की धारा 18 में कहा गया है कि सीमा की एक नई अवधि की गणना उस समय से की जाएगी जब वह पक्ष जिसके खिलाफ अधिकार का दावा किया जाता है, अपने दायित्व को स्वीकार करता है। वित्तीय लेनदार के पास न केवल वसूली का अधिकार है

मुकदमा दायर करके बकाया, लेकिन कॉर्पोरेट व्यक्ति के खिलाफ समाधान प्रक्रिया शुरू करने का भी अधिकार है

निगमित देनदार) जिसका दायित्व प्रमुख उधारकर्ता के साथ सह-व्यापक है और अधिक तब जब यह दायित्व की लिखित स्वीकृति और उस दायित्व का निर्वहन करने में दोनों की विफलता से सक्रिय होता है। [पैरा 41] [962-सी-ई] 2.6 एन. सी. एल. टी. द्वारा लिया गया दृष्टिकोण और जिसने एन. सी. एल. ए. टी. की सराहना की-कि सीमा की एक नई अवधि की आवश्यकता है

समय-समय पर और विशेष रूप से प्रमुख उधारकर्ता द्वारा ऋण की स्वीकृति की तारीख से संगणित (निगमित) गारंटर/निगमित देनदार की अंतिम संचार दिनांक 08.12.2018 के माध्यम से पुष्टि की जाती है। इस प्रकार, 13.02.2019 पर दायर संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन सीमा के भीतर है। [पैरा 42] [962-एफ]

कंपनी (इंडिया) लिमिटेड और अनरः (2019) 10 एससीसी 572: [2019] 13 एस. सी. आर. 224-विशिष्ट लक्ष्मी पैट सुराना बनाम।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

शांति कंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड बनाम। असम राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य। (2020) 2 एससीसी 677: [2019] 16

एस. सी. आर. 252; बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम। वीर गुर्जर

एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. (I) (2019)

15 एससीसी 209; बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

बनाम पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स (2019) 11 एससीसी 633:

[2018] 12 एससीआर 794; वाशदेव आर. भोजवानी बनाम

अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड और ए. एन. आर. (2019)

9 एस. सी. सी. 158 [2019] 12 एस. सी. आर. 75; सागर शर्मा और अन्र। बनाम फीनिक्स आर्क प्राइवेट लिमिटेड और एन. आर. (2019) 10 एससीसी

353 ; बैंक ऑफ बिहार लिमिटेड बनाम डॉ. दामोदर प्रसाद और

एन. आर. [1969] 1 एससीआर 620; जिग्नेश शाह और अन्र। बनाम।

भारत संघ और एएनआर। (2019) 10 एससीसी 750: [2019]

12 एस. सी. आर. 678; बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम। वीर गुर्जर

एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. (II) (2020)

15 एस. सी. सी. 1-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 16 एससीआर 252

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

(2019) 15 एससीसी 209

संदर्भित किया गया है

पैरा 11

[2018] 12 एससीआर 794

पैरा 11

संदर्भित किया गया है

[2019] 12 एससीआर 75

पैरा 11

संदर्भित किया गया है

(2019) 10 एस. सी. सी. 353

पैरा 11

संदर्भित किया गया है

[(1969] 1 एससीआर 620

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

[2019] 13 एससीआर 224

प्रतिष्ठित

पैरा 31

[2019] 12 एससीआर 678

संदर्भित किया गया है

पैरा 32

(2020) 15 एससीसी 1

पैरा 33

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 2734

20

राष्ट्रीय संविधान के 19.03.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

कंपनी अपील (ए. टी.) में विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली

2020 की आयव्ययिता) संख्या 77।

अभिजीत सिन्हा, संदीप नागर, आशुतोष दुबे, अभिषेक चौहान, सुश्री राजश्री डी., वी. एस. रावत, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

ओ. पी. गग्गर, सुश्री आस्था प्रसाद, आदित्य गग्गर, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. इस अपील में हमारे निर्धारण के लिए दो केंद्रीय मुद्दे उत्पन्न होते हैं, जैसे - निम्नलिखित है:

-

(i) क्या दिवाला की धारा 7 के तहत कोई कार्रवाई और

(ख) प्रमुख उधारकर्ता के ऋण खाते के संबंध में, जिसने चूक की थी और जो इसके भीतर एक "निगमित व्यक्ति" नहीं है। संहिता का अर्थ?

क्या संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन दायर किया गया है

ऋण की घोषणा की तारीख से तीन साल बाद गैर-निष्पादित परिसंपत्ति 2 के रूप में खाता, डिफ़ॉल्ट की तारीख होने के कारण, सीमा द्वारा वर्जित नहीं है?

2. संक्षेप में कहा गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 बैंक 3 ने मेसर्स को ऋण सुविधा का विस्तार किया। अपीलार्थी की स्वामित्व वाली फर्म महावीर कंस्ट्रक्शन, वर्ष 2007 और 2008 में दो ऋण समझौतों के माध्यम से क्रमशः रुपये 9,60,00,000/- (केवल नौ करोड़ साठ लाख रुपये) और रुपये 2,45,00,000/- (केवल दो करोड़ पैंतालीस लाख रुपये) की अतिरिक्त राशि के लिए। ऋण राशि प्रधान उधारकर्ता को वितरित की गई थी। एम/एस। 'सुराना मेटल्स लिमिटेड', जिसमें अपीलकर्ता भी एक प्रवर्तक/निदेशक है, ने प्रधान उधारकर्ता के दो ऋण खातों की गारंटी की पेशकश की थी। उल्लिखित ऋण खातों को 30.1.2010 पर NPA घोषित किया गया था।

वित्तीय लेनदार ने तब 19.2.2010 पर प्रधान उधारकर्ता के साथ-साथ कॉर्पोरेट देनदार को एक रिकॉल नोटिस जारी किया, जिसमें रुपये की बकाया राशि के पुनर्भुगतान की मांग की गई। 12,35,11,548 / - (बारह करोड़ तीस-पाँच लाख ग्यारह हजार पाँच सौ अड़तालीस रुपये)।

संक्षेप में, "कोड"

2 संक्षेप में, "एन. पी. ए". 3 संक्षेप में, "वित्तीय लेनदार" 4 संक्षेप में, "प्रधान उधारकर्ता" 5 संक्षेप में, "कॉर्पोरेट देनदार" लक्ष्मी पैट सुराना बनाम।

3. वित्तीय लेनदार ने तब बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली की धारा 19 के तहत एक आवेदन दायर किया।

कोलकाता में ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष प्रधान उधारकर्ता के विरुद्ध अधिनियम, 19936। 4. वित्तीय लेनदार द्वारा शुरू की गई कथित कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान, प्रधान उधारकर्ता ने बार-बार भुगतान करने का आश्वासन दिया था

बकाया राशि, लेकिन चूंकि वह प्रतिबद्धता अधूरी रही, वित्तीय लेनदार ने अंततः संहिता की धारा 4 (1) के तहत भुगतान के एक कथित नोटिस के रूप में कॉर्पोरेट देनदार को 3.12.2018 पर लिखा। निगमित देनदार ने अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 1 के पत्र के माध्यम से मांग के उक्त नोटिस का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि वह प्रधान उधारकर्ता नहीं था और न ही वित्तीय लेनदार का कोई वित्तीय ऋण बकाया था और उसने बताई गई बकाया राशि के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की थी। यह संचार बिना किसी पूर्वाग्रह के भेजा गया था।

5. वित्तीय लेनदार ने तब निगमित शुरू करने के लिए 13.2.2019 पर संहिता की धारा 7 के तहत एक आवेदन दायर करने के लिए आगे बढ़े। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, कोलकाता के समक्ष निगमित ऋणदाता के विरुद्ध दिवाला समाधान कार्यवाही। इस आवेदन का विभिन्न मामलों में और विशेष रूप से प्रारंभिक आधार पर विरोध किया गया।

कि यह बनाए रखने योग्य नहीं था क्योंकि प्रधान उधारकर्ता एक "निगमित व्यक्ति" नहीं था; और इसके अलावा, इसे सीमा द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, क्योंकि डिफ़ॉल्ट की तारीख 30.1.2010 थी, जबकि, आवेदन 13.2.2019 पर यानी तीन साल की अवधि के बाद दायर किया गया था। इन दो प्रारंभिक आपत्तियों को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा 6.12.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश के माध्यम से नकार दिया गया।

6. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि कार्रवाई शुरू कर दी गई थी

निगमित देनदार के विरुद्ध, प्रधान उधारकर्ता के ऋण को चुकाने के लिए सह-व्यापक रूप से उत्तरदायी होने के कारण और वापस बुलाने की सूचना के बावजूद ऐसा करने में विफल रहने के कारण, निगमित देनदार बन गया और इस प्रकार संहिता की धारा 7 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हो गया। दूसरी आपत्ति के संबंध में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने पाया कि प्रधान उधारकर्ता के साथ-साथ कॉर्पोरेट ऋणदाता ने भी बार-बार ऋण को स्वीकार किया था और स्वीकार किया था, अंत में 8.12.2018 पर और इस प्रकार 13.2.2019 पर दायर आवेदन सीमा के भीतर था। " 6 संक्षेप में, "1993 का अधिनियम"

' संक्षेप में, "डीआरटी"

संक्षेप में, "सी. आई. आर. पी".

9 9 संक्षेप में, "न्यायनिर्णायक प्राधिकरण" या "एन. सी. एल. टी"., जैसा भी मामला हो।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. अपीलार्थी ने मामले को राष्ट्रीय कंपनी के समक्ष उठाया

2020 की कंपनी अपील (ए. टी.) (आई. एन. एस.) संख्या 77 के माध्यम से विधि अपील न्यायाधिकरण 1, नई दिल्ली। एन. सी. एल. ए. टी. ने विवादित निर्णय और दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से अपील को खारिज कर दिया और अपीलार्थी द्वारा उठाई गई दो प्रारंभिक आपत्तियों पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा किए गए निष्कर्ष की पुष्टि की।

8. अपीलार्थी, व्यथित महसूस करते हुए, संदर्भित दो प्रारंभिक आपत्तियों को दोहराते हुए वर्तमान अपील के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

ऊपर तक। इस न्यायालय ने दिनांक 28.7.2020 के आदेश के माध्यम से इस अपील में नोटिस जारी किया, जिसमें उस समय आग्रह किए गए मुख्य आधार को दर्ज किया गया। आदेश में लिखा है -

इस प्रकार: -

" अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा एक प्रश्न उठाया गया है कि स्वामित्व फर्म ने ऋण लिया था, प्रमुख उधारकर्ता को निगमित इकाई होना चाहिए, ताकि दिवाला के तहत कार्यवाही को बनाए रखा जा सके और

दिवालियापन संहिता।

उपरोक्त पहलू तक सीमित नोटिस जारी करें

चार सप्ताह में वापसी योग्य।

आज से तीन दिन के भीतर कदम उठाए जाएं। यदि निर्धारित समय के भीतर कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो दीवानी अपील अदालत को आगे भेजे बिना खारिज हो जाएगी।

के संचालन पर अंतरिम रोक होगी

सुनवाई की अगली तारीख तक विवादित फैसला।

अगस्त, 2020 के अंतिम सप्ताह में सूचीबद्ध करें। ”

9. अपीलार्थी के अनुसार, धारा 7 स्पष्ट रूप से आदेश देती है कि

एक वित्तीय लेनदार द्वारा केवल कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ आवेदन दायर किया जा सकता है। एक कॉर्पोरेट देनदार या तो एक कॉर्पोरेट व्यक्ति हो सकता है, जिसके पास था

उधार लिए गए धन या एक निगमित व्यक्ति, जो किसी अन्य निगमित व्यक्ति द्वारा उधार लिए गए धन के पुनर्भुगतान के संबंध में गारंटी देता है। अन्य में

शब्दों में, संहिता किसी ऐसी संस्था के "ऋण" के संबंध में लागू नहीं हो सकती है जो "निगमित व्यक्ति" नहीं है। इस स्थिति को इस तथ्य से बल मिलता है कि संहिता के भाग III के संदर्भ में फर्मों और/या व्यक्तियों के दिवालिया होने की शुरुआत अभी भी अधिसूचित नहीं की गई है। इसके अलावा, संहिता की धारा 2 में यह स्पष्ट करने के लिए संशोधन किया गया कि साझेदारी फर्म और स्वामित्व फर्म दिवाला विधि समिति, फरवरी, 2020 की रिपोर्ट में किए गए भेदभाव के आधार पर संहिता के भाग III के भीतर आएंगे, जो इस प्रकार है:

10 संक्षेप में, "NCLAT"

लक्ष्मी पाट सुराना बनाम। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया [ए. एम. खानविलकर, जे.]

" 2. 'स्वामित्व शिकायतों' की परिभाषा 2.1 संहिता का भाग III उन देनदारों पर लागू होता है जो व्यक्ति या साझेदारी फर्म हैं। संहिता की धारा 2 को हाल ही में संहिता के भाग III के भीतर आने वाले देनदारों की विभिन्न श्रेणियों को स्पष्ट करने के लिए संशोधित किया गया था-(i) कॉर्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटर, (ii) साझेदारी फर्म और स्वामित्व फर्म, और (iii) अन्य व्यक्ति।

यद्यपि संहिता की धारा 2 (च) में अब शब्द शामिल हैं।

" स्वामित्व फर्म ", इस शब्द को किसी अन्य में परिभाषित नहीं किया गया है कानून।

2.2 प्रोपराइटरशिप फर्म ऐसे व्यवसाय हैं जो एक व्यक्ति के स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण में हैं। वे भारत में व्यवसायों का सबसे आम रूप हैं और मालिक के असीमित दायित्व पर आधारित हैं। कानूनी रूप से, एक स्वामित्व एक अलग कानूनी इकाई नहीं है और केवल वह नाम है जिसके तहत एक मालिक व्यवसाय करता है। इसके कारण, स्वामित्व को आमतौर पर कानूनों में परिभाषित नहीं किया जाता है। हालांकि कुछ क़ानून स्वामित्व को परिभाषित करते हैं, ऐसी परिभाषा सीमित है -

कानून का संदर्भ।

उदाहरण के लिए, चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 (हा) ने 'एकल स्वामित्व' को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है जो लेखांकन के अभ्यास में खुद को संलग्न करता है या इसमें संलग्न होता है

सेवाएँ। " विशेष रूप से, 'स्वामित्व फर्मों' को भी नहीं किया गया है

कई अन्य क्षेत्राधिकारों में वैधानिक रूप से परिभाषित।

हम उसी रिपोर्ट के अध्याय 7 में भी उपयोगी विज्ञापन दे सकते हैं। यह गारंटरों से संबंधित मुद्दे के साथ है। पैराग्राफ 7.3 में लिखा है -

" 7.3 समिति ने नोट किया कि जबकि गारंटी के अनुबंध के तहत, एक लेनदार अपने बकाया से अधिक वसूली का हकदार नहीं है, लेकिन जमानतदार के खिलाफ कार्रवाई को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है इस आधार पर कि लेनदार के पास प्रमुख उधारकर्ता के खिलाफ एक वैकल्पिक राहत है। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, लेनदार को अकेले देनदार के खिलाफ, या अकेले मुचलके के खिलाफ, या संयुक्त रूप से देनदार और मुचलके दोनों के खिलाफ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता है। इसलिए, एक लेनदार को सी. आई. आर. पी. शुरू करने से प्रतिबंधित करना।

प्रमुख उधारकर्ता और मुचलका दोनों के खिलाफ गारंटी के अनुबंध के तहत प्रदान किए गए लेनदार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

उन दोनों के खिलाफ एक साथ आगे बढ़ना।

(जोर दिया गया)

यह आग्रह किया जाता है कि किसी भी अन्य दृष्टिकोण का परिणाम अनिवार्य रूप से अप्रत्यक्ष रूप से होगा

साझेदारी फर्मों और स्वामित्व फर्मों और/या व्यक्तियों, जो संहिता के भाग III द्वारा शासित हैं, जैसी संस्थाओं के खिलाफ भी संहिता को लागू करना, उन्हें अधिसूचित किए बिना। अपीलार्थी के अनुसार, एक निगमित गारंटी वह है जो एक "निगमित व्यक्ति" को दिए गए ऋण के संबंध में दी जाती है, जो संहिता के भाग II के दायरे में आती है। इसे 2018 के संशोधन अधिनियम 26 द्वारा 6.6.2018 से प्रभावी "निगमित गारंटर" की परिभाषा को शामिल करने के कारण प्रबलित किया गया है, जैसा कि दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट, दिनांक 26.3.2018 के हिस्से से देखा जा सकता है, जो इस प्रकार है: -

" 23.1 संहिता की धारा 60 में यह अपेक्षा की गई है कि

निगमित देनदार और व्यक्तिगत गारंटरों के लिए प्राधिकरण होना चाहिए

एन. सी. एल. टी. हो जिसका उस स्थान पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र हो जहाँ

निगमित देनदार का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। यह बनाता है

निगमित देनदार और व्यक्तिगत गारंटर का ऐसा कि समान ऋण से संबंधित मामलों को उसी न्यायाधिकरण में निपटाया जाता है।

हालांकि, दिवाला समाधान के बीच ऐसा कोई संबंध मौजूद नहीं है या निगमित देनदार और निगमित की परिसमापन प्रक्रियाएँ

गारंटर। यह निर्णय लिया गया कि धारा 60 उपयुक्त हो सकती है

उसी एन. सी. एल. टी. से निपटने के लिए प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया

दिवाला समाधान या परिसमापन प्रक्रियाएँ

निगमित देनदार और उसका निगमित गारंटर। इसके लिए

उद्देश्य, "कॉर्पोरेट गारंटर" शब्द भी होगा

परिभाषित "।

(जोर दिया गया)

वास्तव में, यह आग्रह किया जाता है कि चूंकि धारा 7 के तहत एक आवेदन

संहिता की धारा को एक प्रमुख उधारकर्ता के खिलाफ नहीं रखा जा सकता है, जो एक "कॉर्पोरेट व्यक्ति" नहीं है, इसका पालन किया जाना चाहिए कि इस तरह के लेनदेन के संबंध में, संहिता की धारा 7 के तहत किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

कंपनी या निगमित व्यक्ति, केवल इसलिए कि उसने इसकी गारंटी दी थी।

10. विषय आवेदन की रखरखाव के संबंध में

धारा 7 सीमा द्वारा वर्जित होने के आधार पर, अपीलार्थी द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि चूक की तारीख को 30.1.2010 के रूप में माना जाना चाहिए, जिस तारीख को ऋण खातों को NPA घोषित किया गया था। यह तथ्य है कि 13.2.2019 पर दायर विषय आवेदन में विधिवत नोट किया गया है। इसलिए, लक्ष्मी पैट सुराना बनाम के अनुच्छेद 137 को देखते हुए आवेदन को सीमा द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था।

सीमा अधिनियम, 1963 1. यह आग्रह किया जाता है कि सीमा की धारा 18

वित्तीय लेनदार द्वारा लागू किया गया अधिनियम और जिसने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और एन. सी. एल. ए. टी. की सराहना की, संहिता के तहत कार्यवाही के लिए कोई आवेदन नहीं है। यह केवल वसूली के मुकदमों और संपत्ति या अधिकार के संबंध में लागू होता है। दिवाला और दिवालियापन संहिता एक स्व-निहित संहिता है। इसकी धारा 7 केवल इस तथ्य को संदर्भित करती है कि आवेदन को बनाए रखने के लिए कार्रवाई का कारण चूक है। संहिता की धारा 238 ए के रूप में संशोधित प्रावधान, जो 6.6.2018 से प्रभावी हुआ है, केवल एक स्पष्टीकरणात्मक प्रावधान है। यह आग्रह किया जाता है कि कंपनी अधिनियम के तहत वसूली और समापन की कार्यवाही और संहिता की धारा 7 के तहत कार्रवाई के बीच अंतर है। यह भी आग्रह किया जाता है कि संहिता के तहत कार्रवाई को लागू नहीं किया जा सकता है और न ही लेनदारों और दावेदारों के लिए एक नए अवसर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जो उन दावों के संबंध में उपचार का आह्वान करने में विफल रहे हैं जो मौजूदा कानूनों के तहत समयबद्ध हो गए थे। अंत में यह आग्रह किया जाता है कि भले ही सीमा अधिनियम की धारा 18 को संहिता की धारा 7 के तहत किसी कार्रवाई पर लागू किया जाना था, लेकिन वित्तीय लेनदार द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष दायर फॉर्म-1 सहित आवेदन किसी भी तरह से सीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत लाभ देने का मामला नहीं बनाता है। विषय आवेदन में तथ्यात्मक विवरण यह है कि चूक की तारीख एन. पी. ए. के रूप में खातों की घोषणा की तारीख 30.1.2010 थी, और कोई अन्य तथ्य जो सीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत लाभ देने के लिए प्रासंगिक है जैसा कि शांति कंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड बनाम असम राज्य विद्युत बोर्ड और Ors.¹2 में बताया गया है, उसमें कहा गया है। दूसरे शब्दों में, प्रत्यर्थी संख्या 1 आवेदन में उस ओर से एक मामला प्रस्तुत करने में विफल रहा है जैसा कि दायर किया गया है। इसके अलावा, जिन पत्रों पर भरोसा किया गया है, उनमें प्रधान उधारकर्ता या ऋणकर्ता द्वारा ऋण की स्वीकृति के तथ्य का उल्लेख नहीं है।

कॉरपोरेट देनदार, जैसा भी मामला हो। उक्त संचार बिना किसी पूर्वाग्रह के भेजे गए थे और इन्हें स्वीकृति के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है

इस तरह की जिम्मेदारी। इसलिए, 8.12.2018 दिनांकित संचार वित्तीय लेनदार के लिए कोई लाभप्रद नहीं होगा। अन्य सभी निर्भर संचार प्रधान उधारकर्ता द्वारा भेजे गए हैं न कि कॉर्पोरेट देनदार द्वारा, जो एक स्वतंत्र कानूनी इकाई है। इसलिए, प्रधान उधारकर्ता द्वारा तथाकथित स्वीकृति, निगमित ऋणदाता को बाध्य नहीं कर सकती है। मूल सीमा अवधि समाप्त होने के बाद प्रधान उधारकर्ता द्वारा भेजे गए संचार, किसी भी मामले में, संहिता की धारा 7 के तहत उपचार का आह्वान करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। जाहिर है, वहाँ था

11 संक्षेप में, "सीमा अधिनियम" 12 (2020) 2 एस. सी. सी. 677 [2021] 2 एस. सी. आर.

धारा 7 के तहत आवेदन दाखिल करने में देरी और इसके बावजूद, धारा के तहत देरी को माफ करने के लिए आवेदन के साथ नहीं था।

5 सीमा अधिनियम। अपीलार्थी के अनुसार, आवेदन को सीमा द्वारा वर्जित किया जाना तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न है और इसमें परीक्षण योग्य मुद्दे शामिल होंगे। उन पहलुओं पर अंततः शपथ पत्र के रूप में साक्षय प्रस्तुत करने के बाद निर्णय लिया जा सकता है।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण।

11. अपीलार्थी द्वारा बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम मामले में इस न्यायालय के आदेश पर भरोसा रखा गया है। वीर गुर्जर एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज

प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. (I) 1 3, बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स 1 4, गौरव हरगोविंदभाई डेव बनाम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड और Anr.[1]5, वाशदेव आर. भोजवानी बनाम अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और Anr.[1]6 और सागर शर्मा और अन्र। बनाम फीनिक्स आर्क प्राइवेट लिमिटेड और Anr.[1]7 17.

12. वित्तीय लेनदार ने इस संबंध में याचिका का खंडन किया है

निगमित देनदार के खिलाफ आवेदन की रखरखाव क्षमता। वित्तीय लेनदार के अनुसार, प्रधान उधारकर्ता और गारंटर का दायित्व सह-व्यापक या समान है, जैसा कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 128 में बताया गया है। यह कानूनी स्थिति अब तक अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी है (देखें-बैंक ऑफ बिहार लिमिटेड बनाम. डॉ. दामोदर प्रसाद और Anr.[1])। संहिता की धारा 7 वित्तीय लेनदार को प्रमुख उधारकर्ता के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू करने में सक्षम बनाती है, यदि वह एक निगमित व्यक्ति है, जिसमें शामिल हैं -

निगमित व्यक्ति के खिलाफ एक गारंटर होने के नाते एक इकाई द्वारा प्राप्त ऋण के संबंध में जो एक निगमित व्यक्ति नहीं है। इसके अलावा वित्तीय लेनदार

धारा 7 पर निर्भरता रखने के लिए, संहिता की धारा 3 (8) में "निगमित देनदार", धारा 3 (11) में "ऋण", धारा 5 (7) में "वित्तीय लेनदार" और धारा 5 (8) में "वित्तीय ऋण" की परिभाषा पर भी भरोसा किया जाएगा। यह आग्रह किया जाता है कि इन प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट हो जाता है

स्पष्ट करें कि "वित्तीय ऋण" में किसी भी दायित्व की राशि शामिल है। ब्याज पर उधार लिए गए किसी भी धन के लिए कोई गारंटी या क्षतिपूर्ति। परिणामस्वरूप, अपीलार्थी के एकल स्वामित्व द्वारा उधार ली गई राशि

1 4 14 (2019) 11 एससीसी 633 15 (2019) 10 एस. सी. सी. 572

16 (2019) 9 एससीसी 158 17 (2019) 10 एस. सी. सी. 353 18 संक्षेप में, "अनुबंध अधिनियम" 19 9 (1969) 1 एस. सी. आर. 620 लक्ष्मी पैट सुराना बनाम।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया [ए. एम. खानविलकर, जे.]

ब्याज के भुगतान के विरुद्ध जिसके लिए निगमित देनदार खड़ा था

गारंटी या क्षतिपूर्ति, कॉर्पोरेट ऋणदाता का एक "वित्तीय ऋण" भी था और इस कारण से, वित्तीय ऋणदाता-प्रतिवादी संख्या 1, संहिता की धारा 7 के तहत आगे बढ़ सकता था। यह भी आग्रह किया जाता है कि 2018 के संशोधन के माध्यम से शुरू की गई "कॉर्पोरेट गारंटर" की परिभाषा एक कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में एक कॉर्पोरेट गारंटर को परिभाषित करने के लिए है, जिसके खिलाफ किसी भी सी. आई. आर. पी. की शुरुआत की जानी है।

कोड। एक निगमित गारंटर के खिलाफ आवेदन की रखरखाव के बारे में आपत्ति, इसलिए, योग्यता से रहित है और इसकी आवश्यकता है

अस्वीकार कर दिया।

13. जहां तक आवेदन के दूसरे मुद्दे को सीमा द्वारा वर्जित किए जाने के संबंध में, यह तर्क दिया जाता है कि इस न्यायालय ने वर्तमान अपील में केवल दिनांकित आदेश में उल्लिखित प्रश्न की जांच करने के लिए सीमित नोटिस जारी किया था 28.7.2020 . इसलिए, सीमा की दूसरी आपत्ति की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। तब यह आग्रह किया जाता है कि किसी भी मामले में, इस आपत्ति में कोई सार नहीं है। अपीलार्थी द्वारा निर्भर किए गए निर्णयों का उल्लेख करते हुए, यह आग्रह किया जाता है कि वित्तीय लेनदार के लिए इसे बनाए रखने के लिए खुला था

ऋण की स्वीकृति के कारण एन. पी. ए. के रूप में खातों की घोषणा के तीन साल बाद भी आवेदन, जिसमें समय-समय पर निगमित देनदार द्वारा और अंत में 8.12.2018 शामिल है, जिसके तहत उसने वित्तीय लेनदार द्वारा प्रधान उधारकर्ता के पक्ष में दिए गए प्रारंभिक ऋण को स्वीकार किया और प्रधान उधारकर्ता के दायित्व को सुरक्षित करने के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति भी प्रदान की। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के साथ-साथ एन. सी. एल. ए. टी. ने इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए उक्त स्वीकारोक्ति का उचित संज्ञान लिया था कि इस तरह के कारण सीमा की नई अवधि शुरू हुई थी।

निगमित देनदार द्वारा स्वीकृति। इसके अलावा, डिफ़ॉल्ट प्रतिबद्ध

कॉर्पोरेट देनदार द्वारा जारी रखा जाता है। यह आग्रह किया जाता है कि न्यायालय को निगमित इकाई मेसर्स के पर्दे के पीछे देखना चाहिए। सुराना मेटल्स लिमिटेड, यहाँ अपीलार्थी का अहंकार है। संहिता वित्तीय ऋण के समाधान के लिए एक विशेष अधिनियम है और यह व्यापक सार्वजनिक हित में है कि

वित्तीय ऋणों की वसूली की जाती है और निगमित व्यक्ति के ऋण हैं

असफल निगमित इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए इसका पुनर्गठन किया गया। इस प्रकार समझा जाता है कि यह प्रक्रिया वसूली के लिए नहीं है, बल्कि निगमित व्यक्ति की दिवालियापन के समाधान के लिए है। यह भी आग्रह किया जाता है कि पद से हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है

सीमा के प्रश्न पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष पक्षकार। यह तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न नहीं है जैसा कि तर्क दिया गया है, लेकिन संचार से समझे गए तथ्यों पर और जैसा कि विषय आवेदन में कहा गया है,

यह स्पष्ट है कि कॉर्पोरेट देनदार ने दिनांक 8.12.2018 के संचार के माध्यम से देयता को स्वीकार किया था, जिसके कारण आवेदन [2021] 2 एस. सी. आर. दायर किया गया था।

13.2.2019 पर सीमा के भीतर था। वित्तीय लेनदार-प्रतिवादी संख्या 1 ने अपील को खारिज करने के लिए दबाव डाला।

14. हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री अभिजीत सिन्हा और प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील श्री ओ. पी. गग्गर को सुना है।

15. यह अब समग्रता से परे नहीं है कि संहिता एक पूर्ण संहिता है-दूसरों के साथ-साथ संबंधित कार्यों और कार्यवाही के लिए प्रावधान, ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए समयबद्ध तरीके से निगमित व्यक्तियों का पुनर्गठन और दिवाला समाधान, ऋण की उपलब्धता और सरकारी बकाया के भुगतान की प्राथमिकता के क्रम में परिवर्तन सहित सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करना और भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की स्थापना करना और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए।

मुद्दा (i):

16. संहिता की धारा 7 उस तरीके का प्रस्ताव करती है जिसमें निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) "वित्तीय" द्वारा शुरू की जा सकती है।

लेनदार "एक कॉर्पोरेट व्यक्ति के खिलाफ कॉर्पोरेट देनदार है"। यह भविष्यवाणी करता है कि एक वित्तीय लेनदार या तो स्वयं या अन्य वित्तीय लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से या वित्तीय लेनदार की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, निर्णय लेने से पहले एक कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए आवेदन दायर कर सकता है।

प्राधिकरण जब उसके द्वारा कोई चूक की जाती है। धारा 3 (12) में "व्यतिक्रम" पद का अर्थ उस ऋण का भुगतान न करना है जो देय और देय हो गया था और जिसका भुगतान ऋणी या निगमित ऋणी द्वारा नहीं किया गया था, जैसा भी मामला हो। 17. धारा 7 एक सक्षम प्रावधान है, जो वित्तीय लेनदार को एक कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू करने की अनुमति देता है। निगमित देनदार

प्रमुख उधारकर्ता हो सकता है। यह एक निगमित व्यक्ति भी हो सकता है

यदि और जब प्रमुख उधारकर्ता/देनदार (चाहे वह एक निगमित व्यक्ति हो या अन्यथा) अपने ऋण के भुगतान में चूक करता है, तो गारंटी की पेशकश करने वाले निगमित देनदार की स्थिति।

18. "वित्तीय लेनदार" शब्द को संहिता की धारा 3 (10) में "लेनदार" अभिव्यक्ति के साथ पठित धारा 5 (7) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है -

जिस व्यक्ति पर वित्तीय ऋण बकाया है और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसे ऐसा ऋण कानूनी रूप से सौंपा गया है या हस्तांतरित किया गया है। इसका मतलब है कि आवेदक एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिस पर वित्तीय ऋण बकाया है। द.

अभिव्यक्ति "वित्तीय ऋण" को धारा 5 (8) में परिभाषित किया गया है। उसमें निर्दिष्ट अन्य श्रेणियों में, यह ब्याज के साथ एक ऋण हो सकता है, लक्ष्मी पैट सुराना बनाम।

जो धन के समय मूल्य के लिए प्रतिफल के विरुद्ध वितरित किया जाता है और इसमें उपखंडों में निर्दिष्ट किसी भी वस्तु के लिए किसी भी गारंटी या क्षतिपूर्ति के संबंध में किसी भी दायित्व की राशि शामिल होगी।

" एक दावा "जो किसी भी व्यक्ति से देय है और जिसमें वित्तीय ऋण और परिचालन ऋण शामिल हैं। "दावा" अभिव्यक्ति निश्चित रूप से वित्तीय लेनदार के कॉर्पोरेट व्यक्ति के खिलाफ आगे बढ़ने के अधिकार को शामिल करेगी। प्रमुख उधारकर्ता द्वारा किए गए चूक के कारण एक गारंटर होना। अभिव्यक्ति "दावा" को धारा 3 (6) में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है भुगतान का अधिकार, चाहे वह अधिकार निर्णय, निश्चित, विवादित, निर्विवाद, कानूनी, न्यायसंगत, सुरक्षित या असुरक्षित तक सीमित हो या नहीं। इसका अर्थ किसी भी कानून के तहत अनुबंध के उल्लंघन के लिए उपचार का अधिकार भी है।

समय पर लागू होने पर, यदि इस तरह का उल्लंघन निर्दिष्ट मामलों के संबंध में भुगतान के अधिकार को जन्म देता है।

19. निस्संदेह, कार्रवाई का अधिकार या कारण ऋणदाता (वित्तीय लेनदार) को प्रमुख उधारकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए आश्वस्त करेगा, साथ ही साथ

समान पैमाने पर गारंटर यदि वे संयुक्त रूप से और अलग-अलग कार्य करते हुए ऋण की राशि के पुनर्भुगतान में चूक करते हैं। यह तब भी गारंटर द्वारा किए गए चूक का मामला होगा, यदि और जब प्रमुख उधारकर्ता ऋण की राशि के संबंध में अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है। क्योंकि, गारंटर का दायित्व ऋण चुकाने के लिए प्रमुख उधारकर्ता के साथ सह-व्यापक और समान है, जैसा कि अनुबंध अधिनियम की धारा 128 में बताया गया है। इस तरह के चूक के परिणामस्वरूप, गारंटर की स्थिति एक देनदार या एक कॉर्पोरेट देनदार में परिवर्तित हो जाती है यदि वह

संहिता की धारा 3 (8) के अर्थ के भीतर एक निगमित व्यक्ति होता है। क्योंकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, संहिता की धारा 3 (12) में "चूक" अभिव्यक्ति को भी परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है ऋण का भुगतान न करना जब ऋण की राशि का पूरा या कोई हिस्सा या किश्त देय हो गया हो या

देय है और देनदार या कॉर्पोरेट देनदार द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

20. एक प्राथमिकता, संहिता के प्रावधानों के संदर्भ में, यदि गारंटर एक कॉर्पोरेट व्यक्ति है (जैसा कि संहिता की धारा 3 (7) में परिभाषित किया गया है),

यह संहिता की धारा 3 (8) के अर्थ के भीतर "निगमित देनदार" अभिव्यक्ति के दायरे में आएगा।

21. धारा 3 (37) में निहित सामान्य प्रावधान का विज्ञापन करना भी उपयोगी हो सकता है। यह मानता है कि उपयोग किए गए शब्द और अभिव्यक्तियाँ और

संहिता में परिभाषित नहीं, लेकिन उसमें निर्दिष्ट अधिनियमों में परिभाषित, उन अधिनियमों में उन्हें क्रमशः दिए गए अर्थ होंगे। इस प्रावधान से समर्थन प्राप्त करते हुए, यह पालन करना चाहिए कि ऋणदाता संहिता के अर्थ के भीतर एक वित्तीय लेनदार होगा। प्रिंसिपल

उधारकर्ता एक निगमित व्यक्ति हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन यदि कोई निगमित व्यक्ति एक प्रमुख उधारकर्ता के निगमित व्यक्ति नहीं होने के संबंध में ऋण लेनदेन के लिए गारंटी देता है, तो भी यह संहिता की धारा 3 (8) में "निगमित देनदार" अभिव्यक्ति के अर्थ में शामिल होगा।

22. इस प्रकार समझा जाए तो, अपीलार्थी के इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि प्रमुख उधारकर्ता एक निगमित व्यक्ति नहीं है,

संहिता की धारा 60, जो संशोधन 2018 के उसी संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया है। यह परिवर्तन एन. सी. एल. टी. को निगम की दिवाला समाधान या परिसमापन प्रक्रियाओं से निपटने के लिए सशक्त बनाने के लिए था। उसी लेन-देन से संबंधित एक ही न्यायाधिकरण में देनदार और उसका निगमित गारंटर, जिसका उस स्थान पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है जहां निगमित देनदार का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। इसका मतलब यह नहीं है कि संहिता की धारा 7 के तहत किसी निगमित व्यक्ति के खिलाफ उस व्यक्ति द्वारा सुरक्षित ऋण राशि की गारंटी के संबंध में कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है जो निगमित व्यक्ति नहीं है, ऐसे ऋण के भुगतान में चूक के मामले में।

24. अपीलार्थी के उपरोक्त तर्क को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप संहिता की धारा 7 में आने वाली "निगमित देनदार" अभिव्यक्ति को कम या संकुचित कर दिया जाएगा, जिसका अर्थ है एक निगमित व्यक्ति, जिसका ऋण है -

किसी भी व्यक्ति के लिए ऋण। एक निगमित व्यक्ति के "ऋण" का अर्थ किसी दावे के संबंध में एक दायित्व या दायित्व होगा जो किसी भी व्यक्ति से देय है और इसमें वित्तीय ऋण और परिचालन ऋण शामिल हैं। धारा 3 (11) में "ऋण" अभिव्यक्ति एक निगमित व्यक्ति के दायित्व को शामिल करने के लिए पर्याप्त है।

किसी भी व्यक्ति के ऋण खाते के संबंध में उसके द्वारा दी गई गारंटी के कारण, जिसमें चूक की स्थिति में कॉर्पोरेट व्यक्ति नहीं होना भी शामिल है। बाद वाले द्वारा किया गया। यह अभी भी संहिता की धारा 5 (8) के अर्थ के भीतर कॉर्पोरेट व्यक्ति का एक "वित्तीय ऋण" होगा, जो उसके द्वारा दी गई गारंटी से उत्पन्न होगा।

संहिता की धारा 5 (5ए)। यदि विधायिका किसी निगम द्वारा सुरक्षित ऋण के संबंध में गारंटी की पेशकश करने वाले व्यक्ति को बाहर करने का इरादा रखती है व्यक्ति जो एक निगमित व्यक्ति नहीं है, "निगमित" अभिव्यक्ति से

ऋणी "धारा 7 में होने के कारण, यह संहिता में इस तरह से प्रदान किया गया होगा (कम से कम जब धारा 5 (5ए) को परिभाषित करने वाली अभिव्यक्ति डालने के लिए आया था।

" कॉर्पोरेट गारंटर ")। यह विधानमंडल के लिए भी खुला था कि वह संहिता की धारा 7 में संशोधन करे और "निगमित देनदार" अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित करे।

एक उपयुक्त अभिव्यक्ति। यह धारा 3 (8) में भी संशोधन कर सकता था ताकि एक ऐसी संस्था के ऋण खाते के लिए दी गई गारंटी से उत्पन्न दायित्व को बाहर किया जा सके जो एक निगमित व्यक्ति नहीं है। इसी तरह इसमें भी संशोधन किया जा सकता था। संहिता की धारा 5 (8) में "वित्तीय ऋण", धारा 3 (6) में "दावा", धारा 3 (11) में "ऋण" और धारा 3 (12) में "चूक"। समकालीन विधायी परिवर्तनों में इस प्रभाव का कोई संकेत नहीं है।

के बारे में। 26. "निगमित देनदार" शब्द को धारा 3 (8) में परिभाषित किया गया है जो समग्र रूप से संहिता पर लागू होता है। जबकि, अभिव्यक्ति "कॉर्पोरेट"

धारा 5 (5ए) में गारंटर केवल संहिता के भाग 2 पर लागू होता है। शासी प्रावधानों के सामंजस्यपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण निर्माण पर, निगमित व्यक्ति को निगमित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को दिए गए ऋण के संबंध में उसके द्वारा दी गई गारंटी के कारण उत्पन्न होने वाले दायित्व (निगमित देनदार होने के) से बाहर निकालना संभव नहीं है। गारंटर की देनदारी प्रमुख उधारकर्ता की देनदारी के साथ सह-विस्तारित होती है। धारा 7 के तहत उपाय राशि की वसूली के लिए नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट देनदार के पुनर्गठन और दिवालिया समाधान के लिए है।

अपने ऋण का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है और उस संबंध में चूक करता है।

ऋण का भुगतान करने के लिए कॉर्पोरेट देनदार के लिए खुला, जो देय हो गया था और देय है और मुख्य उधारकर्ता द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है, ताकि सामान्य रूप से संहिता के अध्याय II और विशेष रूप से धारा 7 की कठोरता से बचा जा सके।

27. कानून में, गारंटर की स्थिति, जो एक कॉर्पोरेट व्यक्ति है,

निगमित देनदार में रूपांतरित हो जाता है, जो वर्तमान में प्रमुख उधारकर्ता है।

(कॉर्पोरेट व्यक्ति न होने के बावजूद) ऋण के भुगतान में चूक करता है जो देय और देय हो गया था। इस प्रकार, संहिता की धारा 7 के तहत कार्रवाई वैध रूप से एक (कॉर्पोरेट) गारंटर के खिलाफ भी लागू की जा सकती है जो एक कॉर्पोरेट देनदार है। "कॉर्पोरेट" की परिभाषा

संहिता की धारा 5 (5ए) में गारंटर को इस तरह से समझने की आवश्यकता है।

28. एक प्राथमिकता के रूप में, हम अपने समक्ष दिए गए तर्क में कोई सार नहीं पाते हैं कि चूंकि ऋण की पेशकश एक स्वामित्व वाली फर्म (एक कॉर्पोरेट व्यक्ति नहीं) को की गई थी, इसलिए संहिता की धारा 7 के तहत कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है, भले ही उसने उस लेनदेन के संबंध में गारंटी की पेशकश की हो। जबकि, प्रमुख उधारकर्ता द्वारा किए गए चूक पर, कंपनी (कॉर्पोरेट व्यक्ति) की देयता, गारंटर होने के नाते, वित्तीय लेनदार के कॉर्पोरेट व्यक्ति (एक कॉर्पोरेट देनदार होने के नाते) के खिलाफ आगे बढ़ने के अधिकार को तुरंत प्रेरित करती है। इसलिए सबसे पहले

प्रश्न का उत्तर अपीलार्थी के विरुद्ध दिया जाता है।

मुद्दा (ii):

29. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह न्यायालय वर्तमान अपील पर विचार करते हुए

अपने दिनांकित 28.07.2020 आदेश में केवल एक विवाद का उल्लेख किया गया था-जिसका उत्तर पहले से ही अपीलार्थी के खिलाफ दिया गया है। हालाँकि, अपीलार्थी तर्क देगा कि उसके द्वारा ली गई दूसरी याचिका और एन. सी. एल. टी. के साथ-साथ एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा निपटाए जाने के बाद, अपीलार्थी को उस याचिका को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए-संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन की स्थिरता के बारे में, सीमा द्वारा वर्जित होने के आधार पर। यदि इस आधार का उत्तर अपीलार्थी के पक्ष में दिया जाता है, तो यह संहिता की धारा 7 के तहत विषय आवेदन पर विचार करने के लिए एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र को छूते हुए मामले की जड़ तक जाएगा। इसलिए, प्रत्यर्थी (वित्तीय लेनदार) की आपत्ति के बावजूद अपीलार्थी को इस आधार को स्पष्ट करने की अनुमति नहीं देने के बावजूद, हमारी राय में, न्याय के हित में इस आधार का जवाब देना आवश्यक है; और यह भी कि, क्योंकि

सीमा अधिनियम की धारा 3 के तहत न्यायालय का कर्तव्य है कि वह बताए गए मुद्दे का जवाब सीमा पर या उचित स्तर पर दे, भले ही यह विरोधी पक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं उठाया गया हो।

30. सीमा के संबंध में आपत्ति को एन. सी. एल. टी. द्वारा दिनांक 06.12.2019 के फैसले के माध्यम से नकार दिया गया है। इसने अपने फैसले के पैराग्राफ 7 में निम्नलिखित टिप्पणी की:

लक्ष्मी पाट सुराना बनाम। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया [ए. एम. खानविलकर, जे.]

" 7. अभिलेख पर साक्षय से यह देखा जाता है कि न केवल

मूल उधारकर्ता लेकिन कॉर्पोरेट ऋणदाता ने भी स्वीकार किया

और 27.05.2015 पर बार-बार ऋण स्वीकार किया

(प्रदर्शनी जे-1) और 08.12.2018 (प्रदर्शनी के)। निगमित

कर्जदार ने बैंक द्वारा जारी किए गए नोटिस का स्पष्ट रूप से जवाब दिया

ऋण स्वीकार करना। हमने नोटिस पर उनके जवाब का अध्ययन किया है।

हम मानते हैं कि उनका जवाब ऋण स्वीकार करने के रूप में है और कुछ भी नहीं।

और भी। निगमित देनदार ने तर्क दिया कि वसूली की कार्यवाही

इसके खिलाफ ऋण वसूली न्यायाधिकरण, कोलकाता में लंबित है कॉर्पोरेट देनदार। यह नहीं कहा जा सकता है कि ऋण देय हो जाता है और

देय। हम मानते हैं कि यह ऋण का स्वीकार है और केवल उसका

बचाव यह है कि यह अभी तक देय और देय नहीं हुआ है। इसमें

मामला, बैंक के पक्ष में गारंटी के आधार पर,

निगमित देनदार ने मूल ऋण का भुगतान करने का बीड़ा उठाया

यदि मूल उधारकर्ता चूक करता है तो उधारकर्ता

बकाया राशि का भुगतान करना निगमित देनदार का कर्तव्य है। बिनि।

बचाव यह है कि ऋण अभी तक देय नहीं हुआ है, यह टिकाऊ नहीं है। ”

(जोर दिया गया)

31. इस तरह के अवलोकन के बाद, एन. सी. एल. टी. ने विज्ञापन देने के लिए आगे बढ़े

गौरव हरगोविंदभाई दवे (ऊपर) में और विशिष्ट

इस आधार पर कि उस मामले में मूल उधारकर्ता और

दर देनदार ने ऋण स्वीकार या स्वीकार नहीं किया था

पूर्वनिर्धारित, जो राशन दाखिल करने से तीन साल पहले हुआ था। वर्तमान मामले में, हालांकि, प्रमुख उधारकर्ता भी

ई कॉर्पोरेट देनदार ने बार-बार ऋण स्वीकार किया था।

. 2010 और अंत में 08.12.2018 पर, जो दाखिल करने का आधार था

13.02.2019 पर संहिता की धारा 7 के तहत सीटी आवेदन।

32. यहां तक कि एन. सी. एल. ए. टी. ने भी अपीलार्थी द्वारा आग्रह किए गए इस आधार को नोट किया

विवादित निर्णय का ग्राफ 21 इस प्रकार है:

" 21. तत्काल मामले में कॉर्पोरेट देनदार (मेसर्स सुराना मेटल्स) लिमिटेड) ने दिनांकित 2.2.2007 के गारंटी पत्र को विधिवत निष्पादित किया था,

17.2.2007 और 3.8.2008 द्वारा स्वीकृत ऋण सुविधाओं के लिए

बैंक ने मेसर्स महावीर कंस्ट्रक्शन को यह भी बताया कि

देनदार ने अपने ऋण को 16.9.2010,3.3.2012 पर स्वीकार किया था। 27.5.2015 , 24.10.2016 , और अपीलार्थी द्वारा निष्पादित किया गया (वीडियो

(मेसर्स सुराना मेटल्स लिमिटेड) पेज नं. 141 क्रमशः गारंटी पत्रों के निष्पादन के विरुद्ध।

21] 2 एस सी आर।

उल्लेखनीय है कि निगमित देनदार ने अपने दिनांकित 8.12.2018 के जवाब में

दिनांकित गारंटर समझौते के निष्पादन को मौन रूप से स्वीकार किया था

2.2.2007 , 17.2.2007 , 3.8.2008 जिसमें और जिसके द्वारा निगम

देनदार रुपये देने के लिए सहमत हो गया था। 12,05,00,000 / - करोड़ और ब्याज

ऐसी राशि "।

(जोर दिया

गया)

अंत में, विवादित फैसले के पैराग्राफ 30 में, NCLAT

बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर), जिग्नेश शाह और अन्र में पक्षों द्वारा निर्भर प्रासंगिक निर्णयों का विश्लेषण करने के बाद। बनाम भारत संघ और अन्र। 20 और गौरव हरगोविंदभाई दवे (ऊपर) ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला:

और एक अभिन्न तरीके से तत्काल मामले की परिस्थितियाँ, जो सतह के मामले पर तैरना एक अपरिहार्य निष्कर्ष पर आता है कि

विभिन्न तिथियों पर ऋण की स्वीकृति होती है जैसे 2.2.07,

17.2.07 , 3.8.07 महावीर द्वारा ली गई ऋण सुविधाओं के लिए

द्वारा मान्यता प्राप्त गारंटी पत्रों का निर्माण

निगमित देनदार (मेसर्स सुराना मेटल्स लिमिटेड)

16.9.10 , 3.3.12 , 27.5.15 , 24.10.16 अपीलार्थी द्वारा निष्पादित

और सुराना मेटल्स लिमिटेड आदि द्वारा 8.12.18 पर। इसके अलावा, यहाँ प्रधानाचार्य द्वारा ऋण की स्वीकृति दी गई है

उधारकर्ता लेकिन 27.5.15 & पर कॉर्पोरेट देनदार भी

8.12.18 क्रमशः। के लिए समय सीमा निर्दिष्ट करने का उद्देश्य

सीमा निर्विवाद रूप से 'सार्वजनिक नीति' पर आधारित है। आवेदन

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) कोलकाता के समक्ष पेश किया गया

बेंच, 13.2.19 पर अच्छी तरह से सीमा के भीतर है और द्वारा वर्जित नहीं है

सीमा। किसी भी दृष्टिकोण से देखते हुए, वर्तमान अपील बिना किसी दृष्टिकोण के है। योग्यता और उसे बिना किसी लागत के खारिज कर दिया जाता है। ..... "

(जोर दिया गया)

33. हम तुरंत इस न्यायालय के फैसले का विज्ञापन कर सकते हैं।

प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. (II) 2 2 1 जिसमें पहले के विश्लेषण के बाद इस न्यायालय के निर्णयों में, न्यायालय ने निम्नलिखित स्थिति का सारांश दिया:

शब्द: 20 (2019) 10 एससीसी 750

21 (2020) 15 एस. सी. सी. 1 लक्ष्मी पैट सुराना बनाम।

" 32. जब संहिता की धारा 238-ए को इस न्यायालय के उपर्युक्त सुसंगत निर्णयों के साथ पढ़ा जाता है।

इंडस्ट्रीज 22, बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज 23, स्विस रिबन 24, के.

हरगोविंदभाई दवे 2 8 और सागर शर्मा 2 9 क्रमशः निम्नलिखित मूल बातें निस्संदेह सामने आती हैं:

(क) कि संहिता एक लाभकारी विधान है जिसका उद्देश्य

निगमित देनदार अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और यह केवल एक पैसा नहीं है

पुनर्प्राप्ति कानून;

(ख) कि सी. आई. आर. पी. का उद्देश्य प्रतिकूल होना नहीं है

निगमित देनदार लेकिन इसका उद्देश्य लोगों के हितों की रक्षा करना है

निगमित देनदार;

(ग) संहिता का उद्देश्य नया पट्टा देना नहीं है।

ऋणों के लिए जीवन जो समय-बाधित हैं;

(घ) आवेदन के लिए सीमा की अवधि

संहिता की धारा 7 के तहत सी. आई. आर. पी. की शुरुआत इसके द्वारा नियंत्रित होती है -

सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 और इसलिए, तीन वर्ष है।

उस तारीख से जब आवेदन करने का अधिकार प्राप्त होता है; (ई) कि एक वित्तीय लेनदार द्वारा सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए ट्रिगर कॉर्पोरेट देनदार की ओर से डिफ़ॉल्ट है, अर्थात, कि कोड के तहत आवेदन करने का अधिकार उस तारीख को प्राप्त होता है।

जब डिफ़ॉल्ट होता है;

(च) कोड में संदर्भित वह डिफ़ॉल्ट वास्तविक गैर का है

ऋण देय होने पर निगमित देनदार द्वारा भुगतान

और देय; और

(छ) यदि आवेदन दाखिल करने की तारीख से तीन साल पहले चूक हुई थी, तो आवेदन पर समय की पाबंदी होगी, सिवाय उन मामलों के जहां, तथ्यों के आधार पर, दाखिल करने में देरी को माफ किया जा सकता है; और

वेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक, (2018) 1 एससीसी 407

ए फुटनोट 14 पर

एस रिबन्स (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ (2019) 4 एस. सी. सी. 17

आशिधर बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक, (2019) 12 एससीसी 150

ए फुटनोट 15 पर

ए फुटनोट 17 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[20

21] 2 एस सी आर।

(ज) संहिता की धारा 7 के तहत एक आवेदन के लिए नहीं है

बंधक देयता का प्रवर्तन और सीमा का अनुच्छेद 62

इस आवेदन पर अधिनियम लागू नहीं होता है।

34. इस कथित निर्णय के पहले भाग में, न्यायालय ने जिग्नेश शाह (ऊपर) में व्याख्या का विज्ञापन किया था। उस फैसले में, अदालत ने

उन्होंने पहले बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्णय को स्वीकार करते हुए संहिता के प्रावधानों का विश्लेषण किया था जिसमें संहिता की धारा 238 ए का उल्लेख किया गया था। जिग्नेश शाह (ऊपर) में निर्णय के पैराग्राफ 7 और 8 को इस प्रकार पढ़ा गया है:

" 7. पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकील को सुनने के बाद, पहले बी. के. में इस न्यायालय के फैसले का विज्ञापन करना महत्वपूर्ण है।

शैक्षिक सेवाएँ (पी) Ltd.30 जिसमें धारा 238-ए

संहिता को संदर्भित किया गया था, जो इस प्रकार है:

“ 238 - ए. सीमा। सीमा के प्रावधान

अधिनियम, 1963 (1963 का 36), जहाँ तक हो सके, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही या अपीलों पर लागू होगा।

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, ऋण

वसूली न्यायाधिकरण या ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो।

8. उक्त निर्णय के पैरा 7 में, मार्च 2018 की दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट को निम्नानुसार संदर्भित किया गया था: (बी. के

शैक्षिक सेवा मामला, एस. सी. सी. पीपी. 644-45 , पैरा 11)

“ 11. दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, पहले संहिता में धारा 238-ए को लागू करने का कारण निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। यह रिपोर्ट में पाया जाना है

मार्च 2018 की दिवाला विधि समिति का विवरण इस प्रकार है:

28. सीमा का अनुप्रयोग अधिनियम, 1963

28.1 . एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. टी. के कई निर्णयों में संहिता पर सीमा अधिनियम, 1963 ("सीमा अधिनियम") के लागू होने के सवाल पर विचार-विमर्श किया गया है। मौजूदा

इस विषय पर न्यायशास्त्र इंगित करता है कि यदि कोई कानून

पूर्ण संहिता, फिर सीमा अधिनियम के एक स्पष्ट या आवश्यक बहिष्करण का सम्मान किया जाना चाहिए। 3 1 इस संबंध में भ्रम के आलोक में, समिति ने विचार-विमर्श किया

फुटनोट 14 पर ऊपर

31 रवुला सुब्बा राव बनाम सी. आई. टी., ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 604 ए. एक्स. एम. आई. पैट सुराना बनाम।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया [ए. एम. खानविलकर, जे.]

मुद्दा और सर्वसम्मति से सहमत हुए कि संहिता का इरादा एक नया जीवन देने का नहीं हो सकता था ऐसे ऋण जो समयबद्ध हों। यह तय किया गया कानून है कि जब किसी ऋण पर समय की पाबंदी होती है, तो उपचार का अधिकार समय की पाबंदी होता है। 32 इसे "ऋण" की परिभाषा के साथ पढ़ने की आवश्यकता है और

" कोड में "दावा" करें। इसके अलावा, समापन की कार्यवाही में ऋण समय-बाधित नहीं हो सकते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि

संहिता में कानून के इस सिद्धांत के विस्तार को बाहर करने का कोई तर्क नहीं होगा। 28.2 . इसके अलावा, सीमा पर कानून के लागू न होने से निम्नलिखित समस्याएं पैदा होती हैं: सबसे पहले, यह सी. आई. आर. पी. के लिए दायर करने के लिए सीमा अधिनियम के तहत समय-प्रतिबंधित ऋण रखने वाले वित्तीय और परिचालन लेनदारों के अधिकार को फिर से खोलता है, जिसके लिए एक लाख रुपये से अधिक के ऋण पर चूक होती है। सीमा कानून का उद्देश्य अशांति या अभाव को रोकना है।

दीर्घ आनंद द्वारा समता और न्याय में क्या अर्जित किया गया हो सकता है या एक द्वारा क्या खो दिया गया हो सकता है

पार्टी की अपनी निष्क्रियता, लापरवाही या लापरवाही ' 34. यद्यपि संहिता एक ऋण वसूली कानून नहीं है, लेकिन "ऋण के भुगतान में चूक" होने के कारण सीमा विरोधी कानून का बहिष्करण सहज ज्ञान युक्त है। दूसरा, यह

आई. आर. पी./आर. पी. के साथ समय-वर्जित दावे दायर करने के लिए दावेदारों (सार्वजनिक सूचना जारी करने के अनुसार) के अधिकार को खोलता है, जो संभावित रूप से समाधान योजना का एक हिस्सा हो सकता है। इस तरह की समाधान योजना समय-वर्जित ऋणों और दावों के पुनर्गठन के लिए मौजूदा कानूनों के अनुपालन में नहीं हो सकती है

संहिता की धारा 30 (4) के अनुसार समय पर लागू है। 28.3 . यह देखते हुए कि इरादा लेनदारों और दावेदारों के लिए एक नए अवसर के रूप में संहिता को पैकेज करने का नहीं था

निर्धारित सीमा अवधि के भीतर मौजूदा कानूनों के तहत अपने उपचार का प्रयोग नहीं किया, समिति ने संहिता में सीमा अधिनियम को लागू करने वाली एक विशिष्ट धारा को सम्मिलित करना उचित समझा। के तहत प्रासंगिक प्रविष्टि

सीमा अधिनियम मामले-दर-मामले के आधार पर हो सकता है। यह था।

जोनल बैंक बनाम सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा, 1993 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 499 मीडिया एंड कम्युनिकेशन सॉल्यूशन (पी) लिमिटेड बनाम। गो एयरलाइंस लिमिटेड, 2013

डेल 445

जी. एच. बनाम सांता सिंह, (1973) 2 एस. सी. सी. 705 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

21] 2 एस सी आर।

आगे कहा कि सीमा अधिनियम लागू नहीं हो सकता है

निगमित आवेदकों के आवेदन, जैसा कि शुरू किए गए हैं

आवेदक द्वारा सी. आई. आर. पी. के उद्देश्य के लिए अपने स्वयं के ऋणों के लिए

और लेनदार के उपाय के रूप में नहीं हैं।

(मूल और आपूर्ति में जोर) "

(जोर दिया

गया)

पैराग्राफ 21 में इस मुद्दे पर निर्णयों का विश्लेषण करने के बाद,

न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

" 21. उपरोक्त निर्णय सही ढंग से मानते हैं कि वसूली के लिए एक मुकदमा

कार्रवाई के कारण के आधार पर जो सीमा के भीतर है, किसी भी मामले में नहीं हो सकता है।

एक वाइंडिंग के अलग और स्वतंत्र उपचार को प्रभावित करने का तरीका

आगे बढ़ रहे हैं। कानून में, जब समय चलना शुरू होता है, तो यह केवल सीमा अधिनियम में दिए गए तरीके से इसका विस्तार किया जाए।

उदाहरण के लिए, धारा के तहत दायित्व की स्वीकृति 18 सीमा अधिनियम का निश्चित रूप से विस्तार होगा

सीमा अवधि, लेकिन वसूली के लिए एक मुकदमा, जो एक अलग मामला है

जिसे समाप्त करने की कार्यवाही किसी भी तरह से दायर की जानी है बंद करने के उद्देश्य से ऋण को जीवित रखना

आगे बढ़ रहा है "।

(जोर दिया

गया)

35. इस तरह के अवलोकन के उद्देश्य से निपटा गया है

बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर (द्वितीय) (ऊपर) का मामला। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि इस न्यायालय ने संहिता के तहत कार्यवाही के लिए सीमा अधिनियम की धारा 18 के आवेदन को खारिज नहीं किया था, यदि मामले की तथ्य स्थिति आवश्यक है। यह देखते हुए कि संहिता की धारा 238 ए का उद्देश्य, जैसा कि अधिनियमित किया गया है, प्रकृति में स्पष्टीकरणात्मक है और एक प्रक्रियात्मक कानून होने के कारण पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था; जिसमें निम्नलिखित का अनुप्रयोग शामिल था: मामला-दर-मामला आधार पर सीमा अधिनियम के प्रावधान। वास्तव में, संहिता में संशोधन का उद्देश्य सीमा अधिनियम के तहत समयबद्ध ऋणों को फिर से खोलना या पुनर्जीवित करना नहीं था। साथ ही, उस अधिनियम के तहत सीमा अधिनियम की धारा 18 के संदर्भ में सीमा की नई अवधि का संचय अपने आप होता है। यह मौजूदा कानून (सीमा अधिनियम) के तहत समयबद्ध ऋणों को नया पट्टा देने का मामला नहीं होगा।

36. विशेष रूप से, सीमा अधिनियम के प्रावधान किए गए हैं

जहां तक लागू हो सके, संहिता के तहत कार्यवाही पर लागू होता है।

क्योंकि, धारा 238 ए भविष्यवाणी करती है कि सीमा अधिनियम के प्रावधान, जहां तक हो सके, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, एन. सी. एल. ए. टी., डी. आर. टी. या ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही या अपीलों पर लागू होंगे। 06.06.2018 पर संहिता की धारा 238A के अधिनियमन के बाद, जिसकी वैधता को बरकरार रखा गया है यह न्यायालय यह तर्क देने के लिए खुला नहीं है कि संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन दायर करने की सीमा संविधान के अनुच्छेद 137 तक सीमित होगी।

सीमा अधिनियम और कुछ मामलों में निर्धारित अवधि का विस्तार केवल सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत हो सकता है। संहिता के तहत शुरू की गई कार्यवाही पर सीमा अधिनियम की धारा 18 के प्रभाव को बाहर करने का कोई कारण नहीं है। सीमा अधिनियम की धारा 18 इस प्रकार है:

" 18. लिखित रूप में स्वीकृति का प्रभाव। — (1) जहां, किसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में किसी मुकदमे या आवेदन के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले, ऐसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में दायित्व की स्वीकृति लिखित रूप में हस्ताक्षरित की गई है।

उस पक्ष द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसी संपत्ति या अधिकार का दावा किया जाता है, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके माध्यम से वह अपनी उपाधि या दायित्व प्राप्त करता है,

सीमा की अवधि की गणना उस समय से की जाएगी जब

इस प्रकार स्वीकृति पर हस्ताक्षर किए गए।

(2) जहां पावती वाला लेखन दिनांकित नहीं है, वहां उस समय का मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है जब उस पर हस्ताक्षर किए गए थे; लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अधीन।

1872) , इसकी सामग्री का मौखिक साक्ष्य प्राप्त नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए,

(अ)

एक स्वीकृति पर्याप्त हो सकती है हालांकि यह छोड़ देता है

संपत्ति या अधिकार की सटीक प्रकृति निर्दिष्ट करें, या इस बात से इनकार करें कि भुगतान, वितरण, प्रदर्शन या आनंद अभी तक नहीं आया है या इसके साथ भुगतान करने, वितरित करने, प्रदर्शन करने या आनंद लेने की अनुमति देने से इनकार किया गया है, या इसे बंद करने के दावे के साथ जोड़ा गया है, या किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित किया गया है।

संपत्ति या अधिकार के हकदार व्यक्ति की तुलना में;

(ख)

"हस्ताक्षरित" शब्द का अर्थ है व्यक्तिगत रूप से या किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित।

इस संबंध में विधिवत अधिकृत अभिकर्ता; तथा एक डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए एक आवेदन

((ग)

किसी संपत्ति के संबंध में आवेदन नहीं माना जाएगा

सही। "[2021] 2 एस. सी. आर.

37. आम तौर पर, ऋण खाते/ऋण को एन. पी. ए. घोषित करने पर

उस तारीख को चूक की तारीख के रूप में माना जा सकता है ताकि वित्तीय लेनदार संहिता की धारा 7 के तहत कार्रवाई शुरू कर सके। हालांकि, धारा 7 तब लागू होती है जब कॉर्पोरेट देनदार "चूक" करता है। धारा 7 सचेत रूप से "चूक" अभिव्यक्ति का उपयोग करती है-कॉर्पोरेट व्यक्ति के ऋण खाते को एन. पी. ए. के रूप में अधिसूचित करने की तारीख का नहीं। इसके अलावा, धारा 3 (12) में "चूक" अभिव्यक्ति को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है भुगतान न करना। " ऋण "जब ऋण की राशि का पूरा या कोई हिस्सा या किश्त देय और देय हो जाता है और ऋणी या निगम द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है।

ऋणी, जैसा भी मामला हो। ऐसे मामलों में जहां निगमित व्यक्ति ने ऋण लेन-देन के संबंध में गारंटी की पेशकश की थी, ऐसे निकाय के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का वित्तीय लेनदार का अधिकार, जो एक निगमित देनदार (निगमित गारंटर) है, उस समय शुरू हो जाएगा जब प्रमुख उधारकर्ता ऋण का भुगतान न करने के कारण चूक करता है। इस प्रकार, जब प्रमुख उधारकर्ता और/या (निगमित) गारंटर स्वीकार करते हैं और

एन. पी. ए. की घोषणा के बाद लेकिन उससे पहले अपने दायित्व को स्वीकार करें

(क्रमिक) स्वीकृति के कारण सीमा की नई अवधि को शामिल करने से तीन साल की समाप्ति पर, सीमा अधिनियम की धारा 18 के प्रभाव के कारण उपार्जित नवीनीकृत सीमा से उन्हें निकालना संभव नहीं है। सीमा अधिनियम की धारा 18 उस पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित लिखित स्वीकृति के क्षण को आकर्षित करती है जिसके खिलाफ संहिता की धारा 7 के तहत समाधान प्रक्रिया शुरू करने का ऐसा अधिकार सुनिश्चित करता है। सीमा अधिनियम की धारा 18 हर बार तब लागू होगी जब प्रमुख उधारकर्ता और/या निगमित गारंटर

(निगमित देनदार), जैसा भी मामला हो, ऋण का भुगतान करने के लिए अपने दायित्व को स्वीकार करते हैं। हालाँकि, इस तरह की स्वीकृति, संहिता की धारा 7 के तहत कार्यवाही की स्थापना के लिए समय-समय पर ऋण की स्वीकृति के कारण सीमा की नई अवधि सहित सीमा की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले होनी चाहिए। इसके अलावा, पावती एक दायित्व की होनी चाहिए जिसके संबंध में वित्तीय लेनदार संहिता की धारा 7 के तहत कार्रवाई शुरू कर सकता है।

38. वर्तमान मामले में, एन. सी. एल. टी. के साथ-साथ एन. सी. एल. ए. टी. ने प्रमुख उधारकर्ता के साथ-साथ स्वीकारोक्ति को भी स्वीकार किया है।

निगमित गारंटर-एन. पी. ए. की घोषणा के बाद निगमित देनदार

समय-समय पर और अंत में 08.12.2018 पर। तथ्य यह है कि सीमा अवधि के भीतर स्वीकृति केवल प्रमुख उधारकर्ता द्वारा की गई थी न कि गारंटर द्वारा, गारंटर को गारंटी पत्र और बंधक ज्ञापन से बहने वाले अपने दायित्व से मुक्त नहीं करेगा। एल. ए. एक्स. एम. आई. पी. ए. टी. सुराना v के तहत प्रमुख उधारकर्ता के साथ गारंटर का दायित्व सह-विस्तारित होना।

अनुबंध अधिनियम की धारा 128, यह उस क्षण को प्रेरित करती है जब प्रमुख उधारकर्ता स्वीकृत ऋण का भुगतान करने में चूक करता है। यह एक कानूनी कल्पना है। गारंटर का ऐसा दायित्व गारंटी विलेख और बंधक ज्ञापन से निकलेगा, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से इसके विपरीत प्रदान नहीं करता है।

39. संहिता की धारा 7 के तहत दायर आवेदन में

13.02.2019 पर वित्तीय लेनदार, इसके भाग IV में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कॉर्पोरेट देनदार ने समय-समय पर ऋण सुविधाओं को विधिवत सुरक्षित किया है। आवेदन के भाग IV के पैराग्राफ 1 का प्रासंगिक भाग और उसी भाग के पैराग्राफ 2 इस स्थिति को मजबूत करते हैं। वही इस प्रकार पढ़ता है:

" भाग IV

वित्तीय ऋण के सहभागी

1. कुल राशि

प्रदत्त उपरोक्त ऋण सुविधाएँ समय-समय पर विधिवत सुरक्षित की जाती हैं।

DEBT

निगमित गारंटर द्वारा समय की तारीख (एस)

ऋणदाता इस प्रकार है:

अस्वीकृति

2.02.2007 :

रुपये के लिए गारंटी पत्र 9,60,00,000/-;

आई.

17.02.2007 :

30.08.2008 :

आई.

रुपये के लिए गारंटी पत्र।

12,05,00,000 / - ;

बंधक के विस्तार का ज्ञापन;

ii.

iii.

निगम के निदेशक की घोषणा

कर्जदार;

उपरोक्त सभी दस्तावेजों की प्रतियां यहां संलग्न की गई हैं।
और अक्षर 'एफ', 'एफ-1', 'एफ-2', 'एफ-3' और 'एफ-4' के साथ चिह्नित किया गया।

उपरोक्त क्रेडिट सुविधा के अलावा नहीं

केवल निगम द्वारा गारंटी के निष्पादन द्वारा सुरक्षित

ऋणदाता, जैसा कि ऊपर कहा गया है, लेकिन स्वामित्व जमा करके भी

अचल संपत्ति के संबंध में वर्ष के लिए विलेख सं.

संपत्ति का वह सारा टुकड़ा और पार्सल होना

सरकारी खास महल भूमि का माप लगभग 50 है।

दीही पंचानन में तौज़ी No.1298 में शामिल कोटाह

ग्राम, डिवीजन II, भवन और संरचना के साथ उस पर खड़े पी. एस. मानिकतला नगरपालिका परिसर हैं

No.17, उल्टाडांगा मेन रोड, कोलकाता

वित्तीय के पक्ष में न्यायसंगत बंधक बनाएँ लेनदार। के संबंध में ऐसे बंधक का सृजन

द्वारा विधिवत विस्तारित उपरोक्त अचल संपत्ति

कॉर्पोरेट गारंटर अंत में 25.08.2008 पर। की रचना कंपनी पंजीयक, पश्चिम के पास दायर किया गया ऐसा आरोप

बंगाल द्वारा कॉर्पोरेट ऋणदाता द्वारा प्रपत्र संख्या 8 के तहत

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 125/127/137 दिनांकित

19.09.2008 और स्वामित्व विलेख की एक प्रति यहाँ संलग्न की गई है

और अक्षर 'जी' और 'जी-1' से चिह्नित किया गया।

1] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रारंभ में 19 जनवरी, 2007 को सावधि ऋण-1 को मंजूरी देते समय, वित्तीय लेनदार ने 19 जनवरी, 2007 को उक्त पैंटलून्स रिटेल (इंडिया) लिमिटेड को एक पत्र भी भेजा, जो उप-लाइसेंसधारी है, जिसका मासिक किराया 45,000/- है जो उक्त प्रधान उधारकर्ता को देय है, जिसमें प्रधान उधारकर्ता द्वारा निष्पादित जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति वित्तीय लेनदार के पक्ष में उक्त पैंटलून्स रिटेल (इंडिया) लिमिटेड से मासिक किराया एकत्र करने और प्राप्त करने का अपना अधिकार सौंपा गया है। वित्तीय लेनदार के दिनांकित 19.01.2007 के उक्त पत्र की एक प्रति यहाँ संलग्न की गई है और 'H' अक्षर से चिह्नित है।

प्रधान उधारकर्ता के उक्त स्ट्रैंड रोड शाखा, कोलकाता में वित्तीय लेनदार के साथ रखे गए दोनों खातों में पुनर्भुगतान में चूक के कारण वित्तीय लेनदार के साथ उक्त प्रमुख उधारकर्ता के नाम पर रखे गए उक्त खातों को विधिवत वर्गीकृत किया गया और आई. डी. 1 से प्रभावी एन. पी. ए. घोषित किया गया और इस तरह 19 फरवरी, 2010 को वित्तीय लेनदार ने प्रधान उधारकर्ता के साथ-साथ इसके कॉर्पोरेट गारंटर को याद करने का नोटिस जारी किया, जिसमें कुल आई. डी. 3, आई. डी. 4 की राशि की मांग की गई है, जिसमें आई. डी. 2 का ब्याज भी शामिल है। उक्त रिकॉल नोटिस दिनांक 19.02.2010 की एक प्रति यहाँ संलग्न की गई है और इसके साथ चिह्नित की गई है

अक्षर 'I'। हालांकि, प्रधान उधारकर्ता और कॉर्पोरेट देनदार दोनों ही कॉर्पोरेट गारंटीकर्ता थे। आवेदक बैंक को देय राशि के पुनर्भुगतान में चूक। प्रधान उधारकर्ता ने अपने 3 मार्च, 2012 के पत्र के माध्यम से वित्तीय लेनदार से इसके बारे में अनुरोध किया

आई. डी. 1 और 27 मई, 2015 को अपनी देनदारी का बकाया होने पर खातों का विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया। 3.03.2012 और 27.05.2015 दिनांकित दोनों उक्त पत्रों की प्रतियां यहाँ संलग्न हैं और पत्र के साथ चिह्नित हैं।

' जे 'और' जे-1 '।

वित्तीय लेनदार द्वारा 3 दिसंबर, 2018 को जारी मांग की सूचना के जवाब में, निगम ने

देनदार ने 8 दिसंबर, 2018 के अपने पत्र के माध्यम से न केवल वित्तीय मंत्रालय द्वारा दिए गए प्रारंभिक ऋणों को स्वीकार किया है

लेनदार प्रधान उधारकर्ता के पक्ष में है लेकिन प्रमुख उधारकर्ता के दायित्व को सुरक्षित करने के लिए कॉर्पोरेट ऋणदाता द्वारा संपार्श्विक प्रतिभूति भी प्रदान

करता है। निगमित देनदार के दिनांकित 8.12.2018 के उक्त पत्र की एक प्रति यहाँ संलग्न की गई है और 'K' अक्षर से चिह्नित है।

| पूर्वनिर्धारित राशि:

2. | अमौन्ट का दावा

31 जनवरी, 2019 को रुपये 23,90,35,759.00 के अनुसार

असफल होने के लिए

और तारीख

निम्नलिखित विवरण: - लेखा का विवरण

प्रधान उधारकर्ता इसके साथ संलग्न है।

द.

जो भी हानि

डिफ़ॉल्ट की तारीख 30/01/2010 थी और कुल दावा

ठीक किया गया

चूक की तारीख से वित्तीय लेनदार है

(हमला

Rs.11,76,80,270.00

लक्ष्मी पैट सुराना बनाम के लिए कार्य। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया [ए. एम. खानविलकर, जे.]

तथापि, चूंकि प्रधान उधारकर्ता के साथ-साथ इसके

ए. एम. ओ. एन. टी. ए. एन. डी. ए. वाई. एस. निगमित गारंटर यहाँ निगमित देनदार होने के नाते घाटे का

आई. एन. ने बकाया के किसी भी हिस्से या हिस्से का भुगतान करने में चूक की थी।

टैबलर फॉर्म) राशि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को वित्तीय

इसके बाद लेनदार ने 14 जुलाई, 2010 को आर. डी. डी. बी. अधिनियम, 1993 की धारा 19 के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण-3 के समक्ष एक आवेदन दायर किया, कोलकाता 2010 का ओ. ए. है जो अभी भी अंतिम निर्णय के लिए लंबित है और उस कार्यवाही में उक्त प्रधान उधारकर्ता के साथ-साथ कॉर्पोरेट ऋणदाता भी उपस्थित हो रहे हैं और उप-लाइसेंसधारी से किराए के संग्रह से संबंधित कई अंतरिम आदेश समय-समय पर पारित किए गए हैं।"

(इटैलिक में जोर दिया जाता है)

फेरसँ, भाग 5 मे वित्तीय ऋणक विवरणकेँ निर्दिष्ट कयल गेल अछि।

पैराग्राफ 5 और 8 में इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है:

" भाग V

वित्तीय ऋण के सहभागी

5. इस आवेदन से नवीनतम और संलग्न।

पूर्ण प्रति। मंजूरी पत्र दिनांक 19.01.2007 और 25.08.2008 और पत्र

कॉर्पोरेट देनदार द्वारा लिखित वित्तीय दिनांक 08.12.2018

द.

वित्तीय लेनदार के प्रति उनके दायित्व को स्वीकार करना

अनुबंध प्रतिबिंबित करना

सभी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।

तारीख तय करने के लिए इंतजार (एक प्रति पर हमला करें)

ओ.

अन्य

कॉर्पोरेट देनदार द्वारा लिखा गया दिनांकित 08.12.2018 का पत्र

8. सूची

वित्तीय लेनदार के प्रति उनके दायित्व को स्वीकार करना

दस्तावेज़

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया "।

इस पर हमला किया गया आवेदन

आईएन

साबित करने का आदेश का अस्तित्व

वित्तीय

DEBT,

द अमांउट एंड चूक की तिथि।

(जोर दिया गया)

40. के बारे में आवेदन में किए गए स्पष्ट दावे के अलावा

08.12.2018 पर अंतिम स्वीकृति जिसके परिणामस्वरूप सीमा की नई अवधि हुई, न्यायाधिकरण ने प्रमुख उधारकर्ता, निगमित गारंटर (निगमित देनदार) और के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्राचार को स्वीकार किया। वित्तीय लेनदार (बैंक) 30.01.2010 के बाद प्रासंगिक अवधि के दौरान 13.02.2019 पर संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन दाखिल करने तक। (निगमित) गारंटर/निगमित देनदार द्वारा एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा ध्यान में रखी गई इस तरह की अंतिम स्वीकृति इस प्रकार है:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" सुराना धातु सीमित

12 , बोनफील्ड लेन, कोलकाता-700001

सीआईएन: L27209WB1983PLC36141

एस. एम. एल./एस. बी./2/18-19/08

08 दिसंबर, 2018

मुख्य प्रबंधक,

पूर्वाग्रह के बिना

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,

परिसंपत्ति वसूली शाखा, कोलकाता,

15 , इंडिया एक्सचेंज प्लेस,

कोलकाता-700001। साहब,

सब: के तहत कार्यवाही शुरू करने के संबंध में सूचना

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016।

हम आपके नोटिस की प्राप्ति को स्वीकार करते हैं

No.ARB: कोल: 198 : 18-19 दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 4 (1) के तहत जारी किया गया दिनांक 03.12.2018 और इसकी सामग्री को नोट करके वास्तव में आश्चर्यचकित हैं। हम ऋण की प्रकृति और दावे की मात्रा सहित उसमें निहित प्रत्येक आरोप का खंडन करते हैं और आपको निम्नानुसार सूचित करना चाहते हैं:

1 . मेसर्स को आपके द्वारा कोई सावधि ऋण स्वीकृत नहीं किया गया था। महावीर

निर्माण, 12, बोनफील्ड लेन, कोलकाता

रुपये. 9,45,00,000/- और रुपये. 2,45,00,000/- जैसा कि आपने आरोप लगाया है। आपके ऊपर
बताए गए पत्र में। हम समझते हैं कि एक ऋण के लिए

Rs.945 लाख और Rs.245 लाख आपके द्वारा मेसर्स को स्वीकृत किए गए थे।

महावीर का निर्माण No.12, बोनफील्ड लेन, कोलकाता

700001 "किराया प्रतिभूतिकरण" के तहत अर्थात भविष्य के किराए के विरुद्ध

मेसर्स पैंटलून रिटेल (इंडिया) लिमिटेड (अब) से प्राप्तियां फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) एक के विकास के लिए

वे पूरी तरह से जागरूक हैं। हम यह भी समझते हैं कि मेसर्स महावीर निर्माण ने आपके क्षेत्र में एक पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित किया है।

भविष्य में मिलने वाले किराए को इकट्ठा करने के लिए आपको अधिकृत करने का पक्ष लिया

उनसे सीधे और/या एक के माध्यम से किराया एकत्र करना एल. डी. द्वारा नियुक्त प्राप्तकर्ता। डी. आर. टी.-III, कोलकाता, बिना एक्स. एम. आई. के पैट सुराना बनाम।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया [ए. एम. खानविलकर, जे.]

केवल कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान। आपने कोलकाता में लर्नड डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल-III में महावीर कंस्ट्रक्शन के खिलाफ अपने ऋण की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू की है।

चूककर्ता और उक्त कार्यवाही निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है। जैसा कि आपने आरोप लगाया है, हमने कोई चूक नहीं की है और इसलिए किसी भी तरह से इसे चूककर्ता नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, आप दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के बहाने स्वयं के लिए आगे की कार्यवाही शुरू करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत नहीं हैं।

जब तक कोलकाता में ऋण वसूली न्यायाधिकरण-III के विद्वान न्यायालय में मेसर्स महावीर कंस्ट्रक्शन के खिलाफ आपके द्वारा शुरू की गई वसूली कार्यवाही अंतिम रूप प्राप्त नहीं कर लेती है, तब तक आप कानून के प्रावधानों के तहत हमें और धमकी देने और/या ऋण की वसूली के लिए हमारे खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 सभी लेनदारों के लाभों को सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़ती है, जो दिवाला और दिवालियापन संहिता में देनदार की परिसंपत्तियों से निपटती है। 2016. इसलिए दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत आगे बढ़ने से पहले आपको सभी शर्तों का समर्पण करना होगा।

सभी लेनदारों (सी. ओ. सी.) के लाभ के लिए प्रतिभूतियाँ।

इसमें सरफेसी अधिनियम और आर. डी. बी. ए., 1973 की कार्यवाही में शामिल परिसंपत्तियां भी शामिल होंगी। इस प्रकार बैंक को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत आगे बढ़ने से पहले यह चुनना होगा कि क्या प्रतिभूति को समर्पण करना है या विशेष रूप से एक सुरक्षित लेनदार के रूप में उसी के साथ सौदा करना है। यदि आप संपत्ति के साथ सुरक्षित लेनदार के रूप में सौदा करने का विकल्प चुनते हैं तो आप दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत आगे नहीं बढ़ सकते। ओ. ए. और एस. ए. उपचार हैं। इसके विपरीत यदि बैंक अपनी प्रतिभूति की पेशकश करने और/या समर्पण करने का विकल्प चुनता है तो उसे सुरक्षित संपत्ति पर अपने अधिकार को माफ करना होगा और दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत आगे बढ़ना होगा।

2016 लेकिन ओए और एसए नहीं।

6. आपने प्रधानाचार्य के खिलाफ कोई मांग नहीं की है।

उधारकर्ता-महावीर निर्माण। इस प्रकार बिना

प्रधान उधारकर्ता के खिलाफ की जा रही कोई भी मांग कॉर्पोरेट गारंटर पर मानित नोटिस जारी करना कानूनन गलत है।

7. आई. बी. सी. को ऋण की वसूली के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं बनाया जा सकता है।

कथित नोटिस जारी करना और कुछ नहीं बल्कि एक कर्ज चुकाने की धमकी। हम व्यावसायिक रूप से विलायक हैं और कथित ऋण 2010 के ओ. ए. No.310 के बाद से विवादित है और कोलकाता में लर्नड डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल-III के समक्ष निर्णय लंबित है, और इसलिए ऋण

अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है, जिसमें आपने स्पष्ट रूप से कहा है कि पैंटलून रिटेल (इंडिया) लिमिटेड चुकाने के लिए उत्तरदायी है।

किराया प्रतिभूतिकरण के तहत महावीर कंस्ट्रक्शन को दिया गया ऋण। इस प्रकार बैंक दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत आगे नहीं बढ़ सकता है।

8. परिसंपत्ति और देयता के बीच कोई गलत मिलान नहीं है। वास्तव में प्रतिभूति के रूप में रखी गई संपत्ति देयता से अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधानों का पालन करना कानून में निराधार/असमर्थनीय है। 9. यह पत्र कानून के और बिंदुओं को जोड़ने और/या आगे कार्य करने के हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए जारी किया गया है जैसा कि सलाह दी जा सकती है।

बात है।

लक्ष्मी पाट सुराना बनाम। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया [ए. एम. खानविलकर, जे.]

इन परिस्थितियों में यह विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया जाता है कि

ऊपर बताए गए कारणों से हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से बचें क्योंकि अन्यथा यह केवल कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। और आप अपने जोखिम और कीमत पर ऐसा कर रहे होंगे।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति को स्वीकार करें।

आभार व्यक्त करते हुए,

आपकी वफादारी से,

सुराना मेटल्स लिमिटेड के लिए।

एसडी /

सुराना धातु सीमित

12 , बॉनफील्ड लेन,

कोलकाता-700001

"

(जोर दिया गया)

वास्तव में, यह संचार बिना किसी पूर्वाग्रह के भेजा गया है

निगमित गारंटर (निगमित देनदार)। फिर भी, यह मेसर्स के दायित्व को स्वीकार करता है। महावीर निर्माण (प्रमुख उधारकर्ता); और कॉर्पोरेट गारंटी की पेशकश की गई है

उस ओर से निगमित देनदार। जैसा कि ऊपर कहा गया है, निगमित गारंटर (निगमित देनदार) का दायित्व प्रमुख उधारकर्ता के साथ सह-विस्तारित होता है और यह उस समय शुरू हो जाता है जब प्रमुख उधारकर्ता ऋण का भुगतान करने में चूक करता है जब वह देय और देय हो गया था। निगमित देनदार (निगमित गारंटर) की देनदारी भी तब शुरू होती है जब प्रमुख उधारकर्ता सीमा की निर्धारित अवधि की समाप्ति के भीतर लिखित रूप में अपने दायित्व को स्वीकार करता है, इस तरह के बकाया का भुगतान करने के लिए और स्वीकृत ऋण का भुगतान करने में विफल रहता है। तदनुसार, वित्तीय लेनदार को उपार्जित ऋण की इस तरह की स्वीकृति से तीन साल के भीतर कार्रवाई शुरू करने का अधिकार। हालाँकि, इसका उपयोग तीन साल के भीतर किया जाना चाहिए जब सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के अनुसार मुकदमा करने/आवेदन करने का अधिकार प्राप्त होता है। यह सीमा अधिनियम की धारा 18 का प्रभाव

है। इसमें, सीमा की एक नई अवधि की गणना उस समय से की जानी चाहिए जब प्रमुख उधारकर्ता द्वारा पावती पर हस्ताक्षर किए गए थे या

निगमित गारंटर (निगमित देनदार), जैसा भी मामला हो, बशर्ते कि पावती निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले हो

सीमा। इस प्रकार, एन. सी. एल. टी. द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष और धारा [2021] 2 एस. सी. आर. के तहत आवेदन में आरक्षण के आधार पर एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पुष्टि की गई।

7 संहिता का, प्रासंगिक निर्विवाद पत्राचार के साथ पढ़ा जाता है, एक है

संभावित दृश्य। 41. अपीलार्थी हमें यह समझाने के लिए दुखी था कि निगमित गारंटर (निगमित देनदार) द्वारा वित्तीय लेनदार को भेजे गए दिनांकित 08.12.2018 के संचार के पीछे का इरादा एक परीक्षण योग्य मामला है, क्योंकि इसे बिना किसी पूर्वाग्रह के भेजा गया था। हम इस प्रस्तुति से प्रभावित नहीं हैं। तथ्य यह है कि प्रमुख उधारकर्ता ने ऋण/ऋण का लाभ उठाया था और चूक की थी और यह कि (निगमित) गारंटर/निगमित देनदार

ऋण खाते के संबंध में गारंटी की पेशकश विवादित नहीं है। अपीलार्थी द्वारा जो आग्रह किया गया है वह यह है कि विचाराधीन राशि का भुगतान करने के लिए दायित्व की स्वीकृति प्रमुख उधारकर्ता द्वारा की गई थी और वह

निगमित गारंटर (निगमित देनदार) के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए स्वीकृति आधार नहीं हो सकती है। तथापि, सीमा अधिनियम की धारा 18,

यह माना जाता है कि सीमा की एक नई अवधि की गणना उस समय से की जाएगी जब वह पक्ष जिसके खिलाफ अधिकार का दावा किया जाता है, अपने दायित्व को स्वीकार करता है। वित्तीय लेनदार के पास न केवल वसूली का अधिकार है मुकदमा दायर करके बकाया, लेकिन उसे उस निगमित व्यक्ति (निगमित देनदार होने के नाते) के खिलाफ समाधान प्रक्रिया शुरू करने का भी अधिकार है, जिसका

दायित्व प्रमुख उधारकर्ता के साथ सह-विस्तारित होता है और अधिक तब जब यह दायित्व की लिखित स्वीकृति और उस दायित्व का निर्वहन करने में दोनों की विफलता से सक्रिय होता है।

42. यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि इसमें भी कोई सार नहीं है

दूसरा आधार प्रत्यर्थी द्वारा दायर आवेदन की रखरखाव के बारे में आग्रह किया गया-संहिता की धारा 7 के तहत सीमा द्वारा वर्जित होने के आधार पर वित्तीय लेनदार। इसके बजाय, हम एन. सी. एल. टी. द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं और जिसने एन. सी. एल. ए. टी. की सराहना की-कि समय-समय पर प्रमुख उधारकर्ता और विशेष रूप से (निगमित) गारंटर/निगमित देनदार द्वारा ऋण की स्वीकृति की तारीख से सीमा की एक नई अवधि की गणना करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, 13.02.2019 पर दायर संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन सीमा के भीतर है। 43. चूंकि हमारे विचार के लिए कोई अन्य मुद्दा उत्पन्न नहीं होता है-संहिता की धारा 7 के तहत वित्तीय लेनदार (बैंक) द्वारा सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए आवेदन की रखरखाव के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा आग्रह किए गए दो आधारों को छोड़कर, हम इस अपील का निपटारा करते हैं और दोनों पक्षों के लिए उपलब्ध सभी "अन्य आधारों" और तर्कों को एन. सी. एल. टी. के समक्ष लंबित कार्यवाही में निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ देते हैं।

यही तय किया जाए कि लक्ष्मी पाट सुराना बनाम। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया [ए. एम. खानविलकर, जे.]

वर्तमान निर्णय में विवादित न्यायाधीश में किए गए किसी भी अवलोकन (टिप्पणियों) से अप्रभावित। 44. तदनुसार, इस अपील का निपटारा उपरोक्त आदेश में लागत के संबंध में नहीं किया गया है। लंबित आवेदन, यदि कोई हैं, तो भी अलग हैं।

अपी

ल सी

निधि जैन